वार्षिक 300/- रूपए
website : www.vhp.org

मूल्य 15 रूपए
कुल पृष्ठ - 28

राष्ट्रीय पुनर्जागरण का पाक्षिक
दिसम्बर 01-15, 2025

हिन्दू विश्व

लाल किला ब्लास्ट का आत्मघाती हमलावर
उमर पढ़ा-लिखा डॉक्टर था

@eHinduVishwa
/HinduVishwa

हरिगढ़ (ब्रज प्रांत) में सामाजिक समरसता संगोष्ठी को संबोधित करते
विहिप सह संगठन महामंत्री श्री विनायकराव देशपाण्डे तथा संगोष्ठी में उपस्थित प्रांत पदाधिकारी व जनसमुदाय

विहिप – त्रिपुरा प्रांत द्वारा आयोजित गोमती जिला के उदयपुर नगर प्रखंड में 'जनजाति गौरव दिवस' कार्यक्रम को संबोधित करते 'त्रिपुरा राज्य के महामहिम राज्यपाल श्री इंद्रसेन रेड्डी जी' तथा कार्यक्रम में उपस्थित जनजाति समाज के महानुभाव

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक तथा अनेक वर्षों तक नेपाल में एकल अभियान का कार्य संभालने वाले श्रीमान स्नेहपाल सिंह जी की अस्थियां गंगा में विसर्जित

अहमदाबाद इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल 2025 कर्णावती के रिवरफ्रंट में आयोजित हुआ, जिसमें विहिप–उत्तर गुजरात प्रांत प्रचार–प्रसार विभाग की ओर से बुक स्टॉल लगाया गया, संगठन के कार्यों, हिंदुत्व के जागरण और महापुरुषों के इतिहास की पुस्तकों की झांकी रखी गई।

हिंदू यूथ न्यूजीलैंड द्वारा धर्मफेस्ट 2025 की घोषणा। कार्यक्रम का उद्देश्य धर्म के माध्यम से विविधता में एकता का उत्सव मनाना है

इस पक्ष में ....

हिन्दू विश्व

राष्ट्रीय पुनर्जागरण का पाक्षिक

01-15 दिसम्बर, 2025
मार्गशीर्ष शुक्ल - पौष कृष्ण पक्ष
पिंगल संवत्सर
वि. सं. - 2082, युगाब्द- 5127

सम्पादक
विजय शंकर तिवारी

सह सम्पादक
मुरारी शरण शुक्ल
मो. - 7217685539

परामर्शदाता
सर्वश्री राजेन्द्र शर्मा,
विजय कुमार,
रवि पराशर

व्यवस्थापक
श्री दूधनाथ शुक्ल
मो. - 09582555152

सज्जा
श्री महेश कुशवाहा

कार्यालय :
'हिन्दू विश्व'
संकटमोचन आश्रम, प्रभाग - 6
रामकृष्णपुरम्,
नई दिल्ली-110022-05
दूरभाष : 09582555152

011-26178992, 011-26103495
hinduvishwa@gmail.com

- : मूल्य :-

विदेशों के लिए	$ 75 USD
वार्षिक डाक व्यय सहित	
एक प्रति	15/-
वार्षिक	300/-
त्रिवर्षीय	750/-
पंचवर्षीय	1,200/-
दसवर्षीय	2,250/-
पन्द्रह वर्षीय	3,100/-

पत्रिका की सदस्यता हेतु क्यूआर कोड स्कैन करें, उसका स्क्रीन शॉट और अपना पता व्यवस्थापक को 9582555152 नम्बर पर भेजें।

वैधानिक सूचना

- 'हिन्दू विश्व' में प्रकाशित सामग्री लेखकों के निजी विचार हैं। सम्पादक एवं प्रकाशक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
- 'हिन्दू विश्व' से सम्बन्धित सभी वाद प्रकाशन तिथि से 3 महीने के अन्दर केवल नई दिल्ली स्थित न्यायालय में होंगे।

कुल पेज - 28

स्वधा (अन्न) को धारण करने वाले पितरों को स्वधा संज्ञक अन्न प्राप्त हो। स्वधा को धारण करने वाले पितामह को स्वधा संज्ञक अन्न प्राप्त हो। स्वधा को धारण करने वाले प्रपितामह को स्वधा संज्ञक अन्न प्राप्त हो। पितरों ने हविष्यान्न के रूप में समर्पित आहार को ग्रहण करके तृप्ति को प्राप्त किया। पितर तृप्त होकर हमें भी तृप्त करते हैं। हे पितृगण! आप लोग शुद्ध होकर हमें भी पवित्र जीवन की प्रेरणा प्रदान करें। - यजुर्वेद

आतंकवाद नहीं, जिहादी हिंसा	08
हिंदुत्व को जगाना व संगठित करना : एक ईश्वरीय कार्य है	09
तय हों मीडिया कवरेज की हदें और सरहदें ..	10
शिक्षित जिहादी, अशिक्षित जिहादी से बड़ा खतरा ...	12
विश्व राजनीति में उभरता इस्लामी-कम्युनिस्ट गठजोड़ और इसका वैश्विक प्रभाव	13
'वंदे मातरम्' के 150 वर्ष पूरे	14
मातृशक्ति व दुर्गावाहिनी ने कन्याओं को दिया विवाह उपहार	16
खलीफा आंदोलन और तुर्की सहायता	17
एसआईआर की सार्थक पहल का विरोध नहीं, स्वागत हो	19
कृषि के क्षेत्र में सदैव अग्रणी रहा है भारत	21
लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु	23
जम्मू कश्मीर के महामहिम राज्यपाल महोदय को विहिप का पत्र	24
राष्ट्रनिष्ठ तपस्वी के प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि	25
विश्व हिंदू परिषद हिन्दू समाज में अस्पृश्यता समाप्त करने हेतु कटिबद्ध है ..	26

सुभाषित

शुभकार्ये विलम्बः स्यात् नाशुभे तु कदाचन।
विलम्बो जायते गेहनिर्माणे न तु पातने।।

'शुभ कार्यों में विलंब होता है, अशुभ कार्यों में कभी विलंब नहीं होता। जिस प्रकार घर के निर्माण में अत्यंत समय तथा परिश्रम लगता है, परंतु उसे गिराने में नहीं लगता।'

भारतीय धार्मिक स्वतंत्रता पर USCIRF की झूठी रिपोर्ट: सत्य से कोसों दूर एक राजनीतिक दस्तावेज़

सम्पादकीय

विजय शंकर तिवारी

अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की धार्मिक स्वतंत्रता पर चर्चा कोई नई बात नहीं है, परंतु हर वर्ष जिस व्यवस्थित और पूर्वाग्रही ढंग से अमेरिकी आयोग USCIRF भारत को निशाना बनाता है, वह अब केवल एक बात सिद्ध करता है—यह संस्था अपने राजनीतिक चश्मे के बाहर वास्तविकता को देखने में असमर्थ है। इसका हालिया 2025 का रिपोर्ट भारत के जटिल सामाजिक–धार्मिक परिदृश्य को बिना समझे निष्कर्षों को तथ्यों पर थोपने का प्रयास करता है। यह रिपोर्ट झूठे तथ्यों का पुलिंदा है, इस पर भारत को अपना पक्ष दृढ़ता से रखना ही होगा।

सबसे पहला प्रश्न यह है कि क्या USCIRF वास्तव में भारत की धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति को समझने की क्षमता रखता है? एक ऐसा देश, जो दुनिया के सबसे विविध धार्मिक मत पंथों का घर है—हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी—और जिनमें से प्रत्येक अपनी आस्था, रीतियों और सांस्कृतिक परंपराओं को न केवल सुरक्षित रखता है, बल्कि उन्हें विकसित भी करता है, क्या वह देश धार्मिक दमन का केंद्र कहा जा सकता है? भारत का संविधान अपने मूल में ही धार्मिक स्वतंत्रता को 'मौलिक अधिकार' के रूप में स्थापित करता है। भारत में मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे और मठ—न केवल हजारों की संख्या में फल–फूल रहे हैं, बल्कि समाज के सबसे सक्रिय भागीदार हैं। यह गतिशीलता किसी भी निष्पक्ष पर्यवेक्षक के लिए स्वयं एक उत्तर है।

फिर भी USCIRF जिस शैली में भारत का चित्रण करता है, वह एक पूर्वनिर्धारित राजनीतिक नैरेटिव के अनुकूल रहता है। इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण अयोध्या विवाद का वर्णन है। राम मंदिर का निर्माण भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वसम्मत निर्णय के बाद एक विधिसम्मत प्रक्रिया का परिणाम है। न्यायालय ने वर्षों के साक्ष्यों, पुरातात्त्विक अध्ययन और गवाही पर आधारित निष्कर्ष दिया, जिसे देश के हर वर्ग ने सम्मानपूर्वक स्वीकार किया। इसके बावजूद USCIRF इसे "मस्जिद ढहाकर बना मंदिर" के रूप में चित्रित करता है—यह न केवल न्यायालय के निर्णय का अपमान है, बल्कि भारतीय सामाजिक समरसता की उपेक्षा भी।

भारत के कानूनी ढांचे को "अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हथियार" बताना भी उसी प्रकार अतार्किक और अतिरंजित है। UAPA, FCRA और अन्य कानून किसी धार्मिक पहचान को नहीं देखते—उनका उद्देश्य सुरक्षा, पारदर्शिता और विधिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है। इन कानूनों के तहत कार्रवाई केवल साक्ष्यों पर आधारित होती है, न कि किसी समुदाय को लक्षित करने के उद्देश्य से। इस रिपोर्ट का यह आरोप कि भारत के कुछ राज्यों में बने धर्मांतरण–विरोधी कानून "अल्पसंख्यकों को दबाने" के लिए हैं, भारत की वास्तविकता और विधान प्रक्रिया शुद्ध पंथ निरपेक्ष है, इसलिए हिंदू धर्म स्वातंत्र्य की बात कर रहा है, यहाँ कुछ राज्यों में जो क़ानून भी बने हैं, वे प्रलोभन या धोखे से किए जाने वाले धर्मांतरण को रोकने के लिए बने हैं, कई देशों में ऐसे प्रावधान सर्वमान्य माने जाते हैं।

USCIRF की सबसे गंभीर विफलता यह है कि यह भारत की लोकतांत्रिक संरचना—जिसमें स्वतंत्र न्यायपालिका, सशक्त मीडिया, संसदीय व्यवस्था और सक्रिय नागरिक समाज शामिल है—को अनदेखा करता है। कोई भी वास्तविक लोकतंत्र आलोचना को रोकता नहीं है, और भारत में आलोचना करने वालों की कमी नहीं है। यदि भारत वास्तव में धार्मिक दमन का केंद्र होता, तो इतने जीवंत, खुलकर बोलने वाले और विविध आवाज़ें संभव ही न होतीं।

रिपोर्ट में राजनीतिक भाषणों के आधार पर पूरे देश को "व्यवस्थित धार्मिक उत्पीड़न" का केंद्र कहना संकीर्ण दृष्टिकोण का परिचायक है। चुनावी राजनीति में तीखे बयान विश्वभर में आम हैं—पर उन्हें "धर्म की स्वतंत्रता के संकट" का प्रमाण घोषित कर देना न केवल अतिशयोक्ति है, बल्कि भारत की जमीनी वास्तविकता की अवहेलना भी। भारत का सामाजिक ढांचा सदियों से विभिन्न धार्मिक समुदायों के पारंपरिक सहअस्तित्व पर आधारित रहा है। समय–समय पर उत्पन्न होने वाले तनाव भी भारतीय समाज की सामंजस्यकारी प्रकृति के सामने टिक नहीं पाते और यह बात किसी विदेशी संस्था की रिपोर्ट से कहीं अधिक व्यापक और प्रमाणिक है।

> **राजनीतिक भाषणों के आधार पर पूरे देश को ''व्यवस्थित धार्मिक उत्पीड़न'' का केंद्र कहना संकीर्ण दृष्टिकोण का परिचायक है। चुनावी राजनीति में तीखे बयान विश्वभर में आम हैं-पर उन्हें ''धर्म की स्वतंत्रता के संकट'' का प्रमाण घोषित कर देना न केवल अतिशयोक्ति है, बल्कि भारत की जमीनी वास्तविकता की अवहेलना भी। भारत का सामाजिक ढांचा सदियों से विभिन्न धार्मिक समुदायों के पारंपरिक सहअस्तित्व पर आधारित रहा है। समय-समय पर उत्पन्न होने वाले तनाव भी भारतीय समाज की सामंजस्यकारी प्रकृति के सामने टिक नहीं पाते और यह बात किसी विदेशी संस्था की रिपोर्ट से कहीं अधिक व्यापक और प्रमाणिक है।**

यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि USCIRF स्वयं कितनी पारदर्शी संस्था है? भारत सहित कई अन्य देश वर्षों से इस आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते रहे हैं—विशेष रूप से इसकी राजनीतिक प्रेरणाओं और अमेरिका की विदेश–नीति से इसकी संगति पर। एक ऐसी संस्था जो स्वयं विश्वसनीयता के संकट में हो, वह भारतीय लोकतंत्र और संस्कृति पर टिप्पणी करने का नैतिक अधिकार कैसे प्राप्त कर सकती है? भारत के संदर्भ में सच्चाई यह है कि यह देश न केवल दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, बल्कि विविधता और धार्मिक मान्यताओं के सबसे मजबूत उदाहरण भी। कोई भी रिपोर्ट, चाहे जितने विदेशी संसाधनों के साथ क्यों न आई हो, भारत की वास्तविकता को न तो ढक सकती है और न परिभाषित कर सकती है।

अंततः, USCIRF की यह रिपोर्ट भारत के विरुद्ध पूर्वाग्रहपूर्ण और तर्कहीन आरोपों का राजनीतिक दस्तावेज़ है—सत्य का नहीं। भारत को इससे विचलित होने की आवश्यकता नहीं; बल्कि विश्व को भारत के धार्मिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत संतुलन से सीखने की आवश्यकता है। भारत की आत्मा—जो "वसुधैव कुटुंबकम्" की भावना से प्रकाशित है—किसी भी बाहरी रिपोर्ट से कहीं अधिक शक्तिशाली और स्थायी है।

मुरारी शरण शुक्ल

सह सम्पादक हिन्दू विश्व

पढ़े-लिखे सफेदपोश आतंकी या जाहिल जिहादी

लाल किला ब्लास्ट से जुड़े सभी आतंकी पढ़े-लिखे थे

दिल्ली पुलिस ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि पढ़े–लिखे लोग जब आतंकवादी बन जाते हैं, तो वो अधिक खतरनाक हो जाते हैं। दिल्ली पुलिस ने 2020 के दिल्ली दंगों में गिरफ्तार हुए शरजिल इमाम की जमानत याचिका पर सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि आजकल डॉक्टर–इंजिनियरों के लिए देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होना एक ट्रेंड बन गया है। ये लोग सरकारी पैसों का उपयोग करके पढ़ाई करते हैं और फिर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। शरजिल इमाम इंजिनियरिंग में स्नातक है और दिल्ली दंगों को भड़काने में इसकी प्रमुख भुमिका थी, इसने चिकन नेक को भारत से काटकर नार्थ–इस्ट को भारत से काट देने की बात भी कहा था।

आतंकियों का कुनबा

पढ़ा–लिखा आतंकवादी अकेला शरजिल इमाम नहीं है, ऐसे पढ़े–लिखे लोग बड़ी सँख्या में आतंकी गिरोहों में काम करते हुए, आतंकियों को प्रशिक्षण देते हुए, आतंकी साजिश रचते हुए, आतंकियों को भड़काते हुए, अवैध हथियारों की तस्करी करते हुए, हथियार बनाते हुए, अवैध विस्फोटकों–हथियारों का भंडारण करते हुए, आतंकी वारदातों को अंजाम देते हुए, आतंकी उत्पन्न करने वाले सँस्थान चलाते हुए, आतंकियों का साथ–सहयोग करते हुए पकड़े गए हैं। कई आतंकवादी तो बम बांधकर फट जाते हैं, अनेकों निर्दोषों को काफिर कहकर आत्मघाती हमले में उड़ा देते हैं। ऐसे आत्मघाती हमलावर जिहादी भी कई पढ़े–लिखे लोग थे।

पढ़े–लिखे आतंकी

जिहादी आतंकवादी गिरोहों में भी पढ़े–लिखे लोगों का शामिल होना नई बात नहीं है, ओसामा–बिन–लादेन (अल कायदा), अबु बकर अल–बगदादी (आईएसआईएस), अईमान–अल–जवाहिरी (अल कायदा), अहमद उमर सईद शेख (पाकिस्तानी–ब्रिटिश), फैजल शहजाद (टाइम स्क्वायर कार बाम्बिंग), अब्राहिम–अल–असिरी (अल कायदा का मुख्य बम निर्माता), डॉ अरशद वाहिद (अल कायदा) इत्यादि जैसे आतंकवादी भी बहुत पढ़े–लिखे थे। आतंकवादी पढ़ा–लिखा हो, मदरसा छाप हो, या अनपढ़, होता जाहिल ही है। सत्य–असत्य, न्याय–अन्याय से इनका कोई लेना–देना नहीं, केवल 72 हूरों, गिलमों और रंगीन शराब का लालच और जन्नती होने का सपना ही इनके आतंकी होने की एकमात्र प्रेरणा है।

लाल किला ब्लास्ट का आत्मघाती तो डॉक्टर था

लाल किला के पास मेट्रो स्टेशन के निकट रेडलाईट पर एक हुंडई आईटेन कार में रखकर लाये गए विस्फोटकों को डेटोनेट कर के उड़ाया गया, इस आत्मघाती हमले में 15 लोगों की जान चली गई और तीस से अधिक लोग घायल हुए थे। डॉ मोहम्मद उमर नबी ने HR26CE 7674 नंबर वाली कार से आत्मघाती हमला किया, उसके परिवार वालों के डीएनए जाँच से उसकी पहचान स्पष्ट हो चुकी है। यह आत्मघाती आतंकी गरीबी में दबा हुआ, या सताया हुआ नहीं था, यह तो सरकारी पैसों के बलपर पढ़ा–लिखा एक डॉक्टर था। इससे स्पष्ट होता है कि जिहादी आतंकी बनने के लिए जन्नति फितूर ही जिम्मेदार है, बाकी सब बातें पीड़ित काफिरों को बरगलाने के लिए गढ़ा जाने वाला नैरेटिव ही होता है।

कई डॉक्टर थे शामील

डॉ मोहम्मद उमर नबी, डॉ मुजम्मिल शकील गनई (पुलवामा), डॉ परवेज अंसारी, डॉ आदिल अहमद राथर (अनंतनाग), डॉ उमर फारुख भट्ट, डॉ शाहीन शईद (लखनऊ) ये सभी तो पढ़े–लिखे डॉक्टर थे। इनके साथ नेटवर्क में जुड़े हुए लोग, जो गिरफ्तार हुए हैं, उनके नाम हैं – मुफ्ती इरफान अहमद वगाय (शोपियां), आरिफ निसार डार (नौगाम), यासिर–उल–अशरफ

(नौगाम), मकसूद अहमद डार (नौगाम), जमीर अहमद अहंगर (गंदेरबल)। ये पढ़े–लिखे डॉक्टर और कम पढ़े–लिखे भी सभी मदरसा छाप मुफ्ती इरफान के अधीन ही काम कर रहे थे। अतः इनका पढ़ा होना, या न पढ़ा होना एक बराबर ही था।

पाकिस्तानी हंजल्ला था मास्टरमाइंड

पाकिस्तान में बैठकर ऑपरेशन चला रहा था उमर बिन खित्ताब उर्फ हंजल्ला। यह आतंकी भारत में रहने वाले मौलवी इरफान से टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से लगातार सम्पर्क में था। हंजल्ला के निर्देश पर ही इस आतंकी मॉड्यूल की योजना बन रही थी।

जैश और डॉक्टरों के बीच की कड़ी इरफान

मौलवी इरफान पाकिस्तान से संचालित हो रहा था और फरिदाबाद के अल फलाह विश्वविद्यालय के डॉक्टरों को इस आतंकी मॉड्यूल से जोड़ रहा था।

इस मॉड्यूल का ऑपरेशनल हेड

इस पूरे आतंकी मॉड्यूल का ऑपरेशनल हेड था डॉ मुजम्मिल। मुजम्मिल ने डॉ आदिल को जोड़ा, फिर डॉ उमर फारुख भट्ट को शामिल किया। भट्ट कट्टरपंथी विचारों को फैलाने, धमकी देने और आईडियोलोजिकल पुश को सम्भाल रहा था। मुजम्मिल ने ही डॉ शाहीन को इस मॉड्यूल में शामिल किया।

शाहीन के खाते में जकात जमा होती थी

डा. शाहीन के खाते में 20–22 लाख रूपये की जकात जमा हुई, उसी पैसे से हथियार, उपकरण और अन्य संसाधन खरीदे गए। शाहीन का भाई डॉ परवेज अंसारी भी इस आतंकी नेटवर्क में जुड़ा हुआ पाया गया।

दो और बड़े चेहरे

आमिर रशिद अली और जासिर बिलाल वानी, ये दो बड़े चेहरे इसमें संलिप्त पाये गए। आमिर को एनआईए ने दस दिन की हिरासत में लिया है। आमिर ही आत्मघाती डॉ उमर को आवश्यक सहयोग देता था। गाड़ी की व्यवस्था, सुरक्षित यातायात, दिल्ली–हरियाणा के बीच आवागमन की व्यवस्था, यह सब आमिर ही देखता था। बिलाल बानी इस मॉड्यूल का तकनीकि दिमाग था। वह सीसीटीवी ब्लाईंड स्पॉट, फोन सुरक्षा और कोडेड संचार सम्हालता था।

अल फलाह विश्वविद्यालय बना सुरक्षित क्षेत्र

अल फलाह एक ऐसी सुरक्षित जगह इन्हें मिल गया, जहाँ से ये अपनी सारी गतिविधियाँ सुरक्षित रूप से चला पा रहे थे। यहाँ हथियार, विस्फोटक, सीसीटीवी किट, बैरल और इलेक्ट्रॉनिक सामान लाकर रखा जाता था। यहीं से जाकर कई बार दिल्ली की रेकी की गई और अंत में लाल किले के पास कार में लो इंटेंसिटी आईडी रखकर ट्रायल किया गया। इस ब्लास्ट से ठीक पहले डॉ शाहीन के खाते से एक लाख रूपये की मांग भी की गई है, जिसके बारे में जांच हो रही है।

विस्फोट से पहले ही विस्फोटक जब्त

इन सभी आतंकियों की गिरफ्तारी बम विस्फोट से पहले ही हो गई, कुछ बाद में गिरफ्तार हुए, डॉ उमर, जिसने आत्मघाती हमला किया, वही गिरफ्तार नहीं हो सका था और बिस्फोट करने में सफल रहा। लेकिन सुरक्षाबलों और जासूसी संगठनों की तत्परता से बड़ी घटना घटने से पूर्व ही सभी आतंकवादी गिरफ्तार हो गए। उनके पास से 2900 किलोग्राम आईडी बनने की विस्फोटक सामग्री भी जब्त हुई। जब्त सामग्रियों में इसके साथ विस्फोटक, रसायन, अभिकर्मक, ज्वलनशील पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, बैटरी, तार, रिमोट कंट्रोल, टाइमर और धातु की चादरें भी शामिल हैं। कुछ महत्वपूर्ण संदेश जो इस आत्मघाती हमले के बाद ध्यान देने योग्य है–

- ❖ आतंकवाद का धर्म होता है – दुनियाँ का हर आतंकी जिहादी होता है। हर आतंकी घटना के बाद आतंक के समर्थक उनको कवर फायर देते हुए कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन आतंकीयों की हरकतों से उनका धर्म अपने आप पता चल जाता है।
- ❖ मजहब ही सिखाता है काफिरों से बैर करना – काफिरों के प्रति जिहादियों के मन में गहरे बिठाये गए नफरत से ही हर तरह का आतंकवाद निकलता है। यह जिहादी फितूर ही उनके काफिरों से बैर रखने का मूल कारण है।
- ❖ गरीबी कारण नहीं है आतंकवादी होने के लिए – बुरहान वाणी के मारे जाने पर उसे शिक्षक का बेटा और गरीब, मजलूम बताया गया, ऐसे ही अनेकों आतंकियों की गरीबी का हवाला दिया जाता है, लेकिन गरीब और भी धर्म के लोग होते हैं, वो तो आतंकी नहीं बन जाते।
- ❖ अशिक्षा और जाहिलियत नहीं है आतंकी बनने का कारण – दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट में आत्मघाती तो डॉक्टर था, उसके सभी साथी डॉक्टर थे, उच्च शिक्षित थे, ओसामा बिन लादेन भी पढ़ा–लिखा था। जिहादी मानसिकता बनाता है पढ़े–लिखे लोगों को आतंकी।
- ❖ दबाये–कुचले हुए मजलूम लोग नहीं बनते आतंकी, बल्कि काफिरों को दबाने–कुचलने और नष्ट करने के लिए जिहाद पढ़ाकर बनाए जाते हैं आतंकी।
- ❖ मदरसे बनाते हैं आतंकी – मदरसों में शिक्षा दी जाती है, यह भ्रम अब टूट चुका है। मदरसों में शिक्षा नहीं, आतंक और जिहाद की शिक्षा दी जाती है। जहाँ मदरसे नहीं हैं, वहाँ आतंकवाद नहीं है।
- ❖ मस्जिद हैं आतंक के अड्डे – आए दिन मस्जिदों से निकली जिहादी भीड़ ने अनेक पर्व–त्योहारों की शोभायात्राओं पर हमले किए हैं। कश्मिर घाटी में 1990 में हिन्दुओं

को कश्मिर छोड़कर जाने या मरने की घोषणा मस्जिदों के लाउडस्पीकर से ही हुई थी।

- मस्जिद हैं हथियार छुपाने के अड्डे – जहाँ भी दंगे होते हैं, मस्जिदों से हथियार निकलते हैं। मस्जिदों से दंगे फैलाने के उपकरण निकलते हैं। हथियार मस्जिदों में ही एकत्र किया जाता है।
- मस्जिद उपद्रवी सूचना फैलाने के केन्द्र – मस्जिदों से हिन्दू समाज के खिलाफ सूचनाएँ फैलाई जाती हैं, दंगों के समय यही सूचना तंत्र जिहादियों को गाईड करता है। उपद्रव की रणनीति प्रसारित करता है।
- धारा 29 एवं 30 के अधीन मुसलमानों को जो कुरान और हदीस मदरसों में पढ़ाने की छुट मिली है, इससे राष्ट्रविरोधी जिहादी पैदा होकर भारत की सम्प्रभुता को आए दिन चुनौती दे रहे हैं। अतः मजहबी शिक्षा की यह व्यवस्था अब बंद होनी चाहिए।
- धार्मिक शिक्षा के अधिकारों के दुरुपयोग से उपजे जिहादी आतंकवाद से भारत का बहुसंख्यक समाज अत्यधिक प्रभावित और पीड़ित हो रहा है। अतः संविधान में संशोधन करके यह मजहबी शिक्षा बंद करनी चाहिए।
- जब किसी किताब की पढ़ाई से मजहबी आतंकी पैदा होने लगें, तो उन किताबों की शिक्षा पर समय रहते प्रतिबंध लगाना चाहिए। ऐसा करने से ही भारत की सम्प्रभुता की रक्षा हो पाएगी।
- धार्मिक शिक्षा का अधिकार बहुसँख्यकों को भी दिया जाना चाहिए, और जिन अल्पसँख्यकों की धार्मिक शिक्षा से आतंकवाद पनपता है, उस शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिबंध लगना चाहिए।
- जिन संस्थानों की शिक्षा पाकर आतंकवादी निकलते हैं, या जिन संस्थानों का तंत्र आतंकवाद को प्रश्रय देने में उपयोग होता है, उन शिक्षा संस्थानों को तुरंत बंद कर देना चाहिए।
- अनुच्छेद 29, 30 के लाभ अल्पसँख्यकों तक सीमित नहीं करके, सबके लिए होने चाहिए। इसका दुरूपयोग रोकने के लिए सख्त प्रावधान बनाने चाहिए।
- अनपढ़ और अनधिकृत मौलानाओं द्वारा जारी किया जाने वाला हलाल सर्टिफिकेशन पूरे देश में प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। इससे होने वाली कमाई आतंकवाद और देश विरोधी गतिविधियों में लगाया जा रहा है।
- जिहादी जाम्बीज को टेलिविजन डिबेट में बिठाकर जिहाद का समर्थन करने की छुट मिडिया हाउसेज को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ये परोक्ष रूप से आतंकवाद का समर्थन करते हैं।
- आतंकवादियों की तरफदारी करने वाले, उनको गरीब, यतीम, मजलूम, दबे–कुचले बताकर उनकी मदद करने वाले बयानबाजों पर भी रासुका लगाकर उनको कठोर दंड दिया जाना चाहिए।
- जिहादियों के मन में काफिरों के प्रति बैठा हुआ डर और नफरत ही मूल कारण है आतंकवाद का। इस्लामोफोबिया झूठ और प्रपंच है। काफिरोफोबिया से ग्रस्त है हरेक जिहादी।
- जन्नत में बहत्तर हूरों और रंगीन शराब मिलने का अवास्तविक लालच इनको जन्नति और जिहादी बना रहा है, इस रूप में ये बिना समझ वाले जिहादी जाम्बीज बन रहे हैं। इससे सरकारों को सचेत होने की आवश्यकता है।
- जन्नत के झूठे सब्जबाग जिहादियों को बम बनकर फटने के लिए उकसाता है, आत्मघाती बनाता है। ऐसी बातें करने वाले हर व्यक्ति पर देशविरोधी हरकतों की धाराएँ लगाकर कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि यह तकरीरें ही आतंकवाद की जड़ हैं।
- जिहाद में केवल सेक्स एवं हिंसा ही है। जिहाद में केवल काफिरों की सम्पत्ति लूटना, सामान्य लूट एवं लड़कियों को फंसाना, बरगलाना शामिल है। ऐसे विनाशकारी जिहाद का समूल नाश करने का समय अब आ गया है।

नफरत से भरकर क्रूरतम हिंसा, हत्या, बलात्कार, लूट, सम्पत्ति हड़प, सरकारी और निजी जमीन पर कब्जा, ड्रग्स, नशीले पदार्थों, नकली नोटों, हथियारों, विस्फोटकों की तस्करी करने वाले लोग, अपने जिहादी चेहरे को छुपाने के लिए आए दिन झूठ पर आधारित नैरेटिव्स चलाने लगते हैं। लोगों को यह समझाने लगते हैं कि आतंकवादी खराब हैं और आतंकवादी पैदा करने वाला मजहब आपस में बैर करना नहीं सिखाता, तो सवाल उठता है कि ये आतंकी आतंकवाद की शिक्षा लेते कहाँ से हैं? आखिर काफिरों को वाजिबूल कतल होने की बात, दारूल हरब से दारूल इस्लाम की बात, गजवा–ए–हिन्द की बात, जिजिया और मैसूल की बात, अल तकिया और हिकमा की बात, जिहाद और आतंक के ये सारे पैगाम कहाँ लिखे हुए हैं, जिसकी बात लोग प्रायः अपनी तकरीरों में किया करते हैं। यह सब आज के समय में इनसे पूछना पड़ेगा और जबाब भी ढूंढ़ना पड़ेगा।

शंकर शरण

आतंकवाद नहीं, जिहादी हिंसा

राजनीतिक-बौद्धिक वर्ग को तथ्य-आधारित समझ की आवश्यकता

लेख में जिहादी हिंसा और आतंकवाद के वैचारिक पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। यह बताता है कि कैसे राजनीतिक और बौद्धिक वर्ग जिहाद के खतरे को कम आंकते हैं। लेखक के अनुसार, जिहाद का मुकाबला केवल सैन्य शक्ति से नहीं, बल्कि वैचारिक और शैक्षिक प्रयासों से किया जा सकता है। इस्लामी दावों का खंडन करके और सही जानकारी फैलाकर ही जिहाद को हराया जा सकता है। कई दशकों से जिहादी हिंसा पर इस कहावत के उलट काम किया जा रहा है कि जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। जो काम सुई का है, वैचारिक—शैक्षिक संघर्ष का है, उसे तलवार, सैन्य—प्रहार आदि से हराने की कोशिश हो रही है। लोकतांत्रिक विश्व आत्म—प्रवंचना में है। लिहाजा आतंक बरपाने वाले नए—नए दस्ते, संगठन, सरगना इसलिए आते रहते हैं, क्योंकि उन्हें मौत का, तलवार का भय ही नहीं है। केवल तलवार उन पर निष्फल भी रहती है। जिसे आतंकवाद कहा जाता है, उसे आतंकी खुद जिहाद कहते हैं और अपने को मुजाहिदीन। भारत में एक संगठन का नाम ही इंडियन मुजाहिदीन था।

इसने लखनऊ, वाराणसी, जयपुर, दिल्ली, मुंबई आदि शहरों पर अनेक बम—विस्फोट किए, जिनमें सैकड़ों नागरिक मारे गए। जिहाद की संज्ञा भारत में सैकड़ों वर्षों से बार—बार गूंजती रही है। गजनवी से लेकर बाबर जैसे बड़े—बड़े हमलावरों, सुल्तानों, बादशाहों तथा मौदूदी, इकबाल जैसे बड़े—बड़े आलिमों के मुँह और कलम से। फिर भी हमारा राजनीतिक—बौद्धिक वर्ग जिहाद पर चुप रहता है। वह उससे मुकाबला कैसे कर सकता है, जिससे आँख मिलाकर देखने में भी उसे संकोच है?

यदि मुजाहिदीनों द्वारा की गई हिंसा और आतंक का मुकाबला करना है, तो वास्तव में जिहाद का सामना करना होगा। उसे उग्रवाद, आतंकवाद, विकृति आदि नाम देना झूठे उपायों की ओर ले जाता है। इसे अफगानिस्तान—पाकिस्तान में अमेरिकी विफलता में बड़े पैमाने पर देख सकते हैं। एक संगठन के बाद, दूसरे पैदा हो जाते हैं। एक सरगना के बाद दूसरा आ जाता है। एक भारतीय इमाम ने कहा था, एक ओसामा मरेगा, तो सौ पैदा होंगे। जिस विश्वास से उन्होंने ऐसा कहा था, उस पर विचार और चोट करनी चाहिए, तब समाधान मिलेगा। जिहाद से अनजान लोग ही जिहादियों का सबसे बड़ा कवच हैं।'

'जिहाद का सिद्धांत मानवता को दो हिस्से में बांटकर देखता है—इस्लाम मानने वाले और नहीं मानने वाले। इसी से इस सिद्धांत की दोहरी नैतिकता बनती है। मुस्लिम के साथ एक व्यवहार और काफिरों के साथ दूसरा। इसी से 'दारुल—इस्लाम' (जहाँ मुसलमानों का शासन हो) और 'दारुल—हरब' (जहां काफिरों का शासन हो) की धारणा है। इसी कारण यहूदियों से कहा गया था कि सारी दुनियाँ केवल मुसलमानों के लिए है और वे जान बचाने को इस्लाम कबूल करें। यही दावा राजनीतिक इस्लाम है और इसे लागू करने की गतिविधि जिहाद है।'

'इतिहास को झुठलाने की मांग करने से लेकर सब पर शरीयत लादने, हलाल थोपने तक उसके असँख्य शांतिपूर्ण रूप हैं। जिहाद सर्वमुखी युद्ध है। सहीह बुखारी में जिहाद संबंधी दो प्रतिशत हदीस कुछ कामों को जिहाद के बराबर बताते हैं, किंतु बाकी 98 प्रतिशत हदीस हथियारबंद हिंसा से संबंधित हैं। हथियारबंद जिहाद ने ही राजनीतिक इस्लाम को सारी सफलता दी है। भारत के विगत हजार वर्ष में इसे असँख्य बार होता देख सकते हैं। मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर हमले से लेकर मुस्लिम लीग के डायरेक्ट एक्शन, पाकिस्तान बनने और कश्मीर से हिंदुओं के सफाए तक यदि कोई शब्द और कर्म समान मिलता है, तो वह है जिहाद और हिंसा।

जिहाद में एक पूरी मानसिकता और जीवनशैली है। जिहाद के बारे में प्रामाणिक जानना चाहिए। विशेषकर उन्हें, जिनके विरुद्ध जिहाद का स्थाई आह्वान है और जो इसे सदियों से झेल रहे हैं। बाबर ने भी जिहाद ही लड़ा था। 'बाबरनामा' में भारत पर हमले को जिहाद कहा गया है। बाबर ने खुद को

फख से 'गाजी' यानी जिहाद लड़ने वाला कहा था। बाबर से लेकर इंडियन मुजाहिदीन तक उन्हीं स्रोतों को अपना मार्गदर्शक मानते हैं, जो मूल इस्लामिक स्रोत हैं। उनके सभी विश्वास, प्रेरणाएँ, आदर्श इन्हीं से निःसृत होते हैं। इसीलिए राजनीतिक इस्लाम का रिश्ता बाकी दुनियाँ से जिहाद या अस्थाई शांति का है। उसके सिद्धांत में कोई तीसरी स्थिति नहीं बताई गई है।

जिहादियों को आतंकवादी कहना अपने को भरमाना है। हमारे राजनीतिक –बौद्धिक वर्ग को तथ्य– आधारित समझ की आवश्यकता है। तब साफ दिखेगा कि जिहाद का सिद्धांत किन–किन बिंदुओं पर कमजोर है, वहीं पर उसे चुनौती देकर हराया जा सकता है। जिहाद को हराना मुख्यतः विचार एवं शिक्षा का क्षेत्र है। इस्लामी दावों, सिद्धांतों का खुला, वैज्ञानिक परीक्षण करके खंडन करना तथा सारी बातें शिक्षा और मीडिया के माध्यम से घर–घर पहुँचाना। इसके प्रति काफिरों की गफलत में ही जिहादी आतंक रूपी तोते की जान छिपी है। राजनीतिक इस्लाम के प्रति सबका भ्रमित रहना ही जिहाद की ताकत है।

इसे इस्लामी नेता बखूबी जानते हैं। इसीलिए अमेरिकी मिसाइलों से ज्यादा तसलीमा नसरीन जैसी लेखिकाओं से डरते हैं। वे काफिरों को भ्रमित रखने के लिए दोहरी नैतिकता के अपने सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। उन्हें इस्लामी दावों का झूठा, मीठा अर्थ बताते रहते हैं, जो मुसलमानों को बताए गए अर्थ से भिन्न होता है। इस छल के लिए भी उनके पास एक शब्द है, 'तकिया'। सहीह बुखारी में कहा गया है, ''जिहाद छल है (4:52:268)''–जिहाद इज डिसीट। मुस्लिम ब्रदरहुड संगठन ने पूरी दुनियाँ में मिथ्या–प्रचार का व्यवस्थित वैचारिक तंत्र चला रखा है। जिसमें वे काफिर, जिहाद, दारुल–हरब, जिम्मी, हलाल, शरीयत आदि के बारे में झूठे तर्क फैलाते हैं, ताकि गैर–मुस्लिम सरकारें, बुद्धिजीवी, मीडिया आदि अनजान रहें, बल्कि इस्लामियों का बचाव भी करें। जब भी कोई सच बात रखी जाती है, तो इस्लामी नेता नाराजगी दिखाते हैं। उसे इस्लाम को बदनाम करना कहकर, धमकी देकर बंद करवाया जाता है, जबकि ठीक वही बात सारे मुजाहिदीन ठसक से कहते हैं।

रिलीजन इस्लाम का बहुत छोटा अंश है, उससे काफिरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस्लामी मतवाद का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा राजनीतिक है, जिससे काफिर गाफिल रहते हैं। फलतः जिहाद की मानसिकता अबाधित रहती है। उसे हराना ही असली कर्तव्य है। वह मुख्यतः शैक्षिक कार्य है। इसीलिए जिहादी आतंक से लड़ाई मुख्यतः तलवार की नहीं, सुई की है।

हिंदुत्व को जगाना व संगठित करना : एक ईश्वरीय कार्य है

विश्व हिंदू परिषद का परिचय वर्ग व जिला बैठक आज वात्सल्य वाटिका, रेलवे रोड में संपन्न हुई। आज की जिला बैठक में धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के विश्व हिन्दू परिषद के प्रान्त, विभाग, सभी जिला, प्रखंडों व खंडों के दायित्ववान कार्यकर्ता व नए संगठन के लोगों को संबोधित करते हुए विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सेवा प्रमुख राजीव भाटिया ने कहा कि हिंदुत्व को संगठित करना, जागरूक करना ईश्वरीय कार्य है। समाज में सेवा तन–मन–धन से होती है। हर व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार समाज व संगठन की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं में जोश व उत्साह भरते हुए कहा कि विश्व हिंदू परिषद–विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। हमें अपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय हिंदुत्व, समाज के लिए निकालकर हिंदुओं को जागृत व संगठन का कार्य करना चाहिए। आज की विश्व हिंदू परिषद की परिचय वर्ग बैठक वात्सल्य वाटिका में वाटिका संस्थापक स्वामी हरिओम

दास परिवर्जक जी के आशीर्वाद, मार्गदर्शन व दीप प्रज्वलवन के साथ आरंभ हुई।

आज की बैठक के पहले सत्र में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना, कार्यप्रणाली, दूसरे सत्र में कार्यकर्ताओं को हिंदुत्व व समाज को जोड़ना, तीसरे सत्र में पंच–परिवर्तन (समाजिक समरसता, पर्यावरण, कुटुम्ब प्रबोधन, स्वयं प्रबोध, नागरिक कर्तव्य) व चौथे सत्र में समाजिक कुरीतियों में विहिप का योगदान के बारे में बताया गया। विश्व हिंदू परिषद की कार्य प्रणाली, अभी तक किए गए विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख कार्यों, विश्व हिंदू परिषद की संगठनात्मक संरचना के बारे में श्रीमान अनिल चौहान (प्रांत विशेष संपर्क प्रमुख) जी ने विस्तार से कार्यकर्ताओं को जानकारी देते हुए कहा कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यों को कार्यपुंज, सामाजिक पुंज व धार्मिक पुंज तीन वर्गों में बांटा गया है। उन्होंने बताया कि पूरे हरियाणा प्रांत के 27 जिलों को सात विभागों में बांटा गया है तत्पश्चात जिलों की ईकाईयों का गठन किया गया है। प्रखंड, खंड, उपखंड व ग्रामीण इकाइयों के रूप में संगठन की कार्य पद्धति को बांटा गया है। अभी तक विश्व हिंदू परिषद की ओर से किए गए प्रमुख कार्यों में–अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर, रामसेतु को मान्यता दिलाना, भगवान श्रीराम को काल्पनिक कहने वालों को सही रास्ते पर लाना, धर्म परिवर्तन कार्य, संतों को जोड़ना, गौ सुरक्षा, सभी हिंदुओं को विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले इकट्ठा करना, हिंदुओं को जागृत व संगठित करना इत्यादि प्रमुख कार्य है। बैठक में प्रांत व विभाग के प्रमुख वरिष्ठ अधिकारियों के अतिरिक्त जिला टोली व सभी खंडों व प्रखंडों के दायित्वान कार्यकर्ताओं व वरिष्ठ अधिकारियों सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

rajesh.rap73@gmail.com

तय हों मीडिया कवरेज की हदें और सरहदें

आतंकवाद

जरूरी है खबरों की गेटकीपिंग

प्रो. संजय द्विवेदी

दिल्ली में हुए बम धमाकों के बाद फिर से एक दशक पूर्व तक देश में होने वाली आतंकवाद की घटनाएँ ताजा हो गयी हैं। टीवी मीडिया पर मचे हाहाकार को देखकर लोग हैरत में हैं। लगातार और निरंतर करवेज से मीडिया न सिर्फ भय का विस्तार करता है, बल्कि आतंकवादियों को शक्ति देता हुआ नजर आता है। हम यह जानते हैं कि आतंकवाद का सारा काम भय का व्यापार ही है। ऐसे में भारत जैसे वर्षों से आतंकवाद के शिकार देश में, मीडिया कवरेज की चुनौतियाँ बहुत कठिन हो जाती हैं। तेज और गतिमान कवरेज के बजाए सही और जिम्मेदार होना ही आतंकवाद विरोधी मीडिया की पहली शर्त है।

मीडिया को खबरों की गेटकीपिंग (समाचार के चयन और नियंत्रण की प्रक्रिया) पर खास जोर देना चाहिए ताकि इसका दुरूपयोग रोका जा सके। दूसरा बड़ा काम जनमत निर्माण का है, अपने लेखन और प्रस्तुति से कहीं भी मीडिया को आतंकवाद के प्रति नरम रवैया नहीं अपनाना चाहिए, ताकि जनता में आतंकी गतिविधियों के प्रति समर्थन का भाव न आने पाए। आतंकवाद के खिलाफ मुंबई हमलों के बाद मीडिया ने जिस तरह की बहस की शुरूआत की थी, उसे साधारण नहीं कहा जा सकता। उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। हमारी आतंरिक सुरक्षा से जुड़े प्रश्न जिस तरह से उठाए गए थे। वे शायद पहली बार इतनी प्रखरता से सामने आए थे। राजनीतिक नेतृत्व की विफलता को रेखांकित करने के अलावा हमारे गुप्तचर तंत्र और उससे जुड़ी तमाम खामियों पर एक सार्थक विमर्श सामने आया। आतंकवाद की खबर अन्य खबरों की तरह एक सामान्य खबर है, यह सोच भी बदलनी होगी।

भारत जैसे देश में जहाँ विविध भाषा–भाषी, जातियों, पंथों के लोग अपनी–अपनी साँस्कृतिक चेतना और परंपराओं के साथ सांस ले रहे हैं, आतंक को फलने–फूलने के अवसर मिल ही जाते हैं। हमारा उदार लोकतंत्र और वोट के आधार पर बननेवाली सरकारें भी जिस प्रामणिकता के साथ आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, खड़ी नहीं हो पातीं। जाहिर तौर पर ये लापरवाही, आतंकी ताकतों के लिए एक अवसर में बदल जाती है। ऐसे में भारतीय मीडिया की भूमिका पर विचार बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या भारतीय मीडिया अपने आप में एक ऐसी ताकत बन चुका है, जिससे आतंकवाद जैसे मुद्दे पर कोई अपेक्षा पाली जानी चाहिए ?

मुंबई हमलों के समय मीडिया कवरेज को लेकर जैसे सवाल उठे थे, वे अपनी जगह सोचने के लिए विवश करते रहे। लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि आतंकवाद जैसे गंभीर विषय पर संघर्ष के लिए क्या हमारा राष्ट्र–राज्य तैयार है? भारत जैसा महादेश जहाँ दुनियाँ की सबसे बड़ी आबादी रहती है, में ऐसी क्या कमजोरी है कि हम आतंकवादी ताकतों का सबसे कमजोर निशाना हैं? आतंकवाद का बढ़ता संजाल दरअसल एक वैश्विक संदर्भ है, जिसे समझा जाना जरूरी है। दुनियाँ के तमाम देश इस समस्या से जूझ रहे हैं। बात भारत और उसके पड़ोसी देशों की हो, तो यह जानना भी दिलचस्प है कि आतंकवाद की एक बड़ी पैदावार इन्हीं देशों में तैयार हो रही है।

भारतीय मीडिया के सामने यह बड़ा सवाल है कि वह आतंकवाद के प्रश्न पर किस तरह की प्रस्तुति करे? आप देखें तो 'पाकिस्तान' हिंदुस्तानी मीडिया का एक प्रिय विषय है, वह शायद इसलिए क्योंकि दोनों देशों की राजनीति एक–दूसरे के खिलाफ माहौल बनाकर अपने चेहरों पर लगी कालिख से बचना चाहती है। पाकिस्तान में जिस तरह के हालात लगातार बने हुए हैं, उसमें लोकतंत्र की हवा दम तोड़ चुकी है, जिसके चलते वहाँ कभी अच्छे हालात बन ही नहीं पाए। 'भारत घृणा' पाकिस्तानी राजनीति का मूलमंत्र है, वहीं कश्मीर का सवाल इस भावना को खाद–पानी देता रहा है। पर बात अब आगे जा चुकी है, बात अब सिर्फ पाक की नहीं है, उन अतिवादी संगठनों की भी है, जो दुनियाँ के तमाम देशों में बैठकर एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसका अंत नजर नहीं आता। पाक की सरकार भी इनके आगे बेबस नजर आती

है। आतंकवाद की तरफ देखने के मीडिया के रवैये पर बातचीत करने के बजाए, हमें सोचना होगा कि क्या हम आतंकवाद को कोई समस्या वास्तव में मान रहे हैं, या हमने इसे अपनी नियति मान लिया है? दूसरा सवाल यह उठता है कि अगर हम इसे समस्या मानते हैं, तो क्या इसके प्रमाणिक हल के लिए सच्चे मन से तैयार हैं ?

मीडिया के इस प्रभावशाली युग में मीडिया को तमाम उन चीजों का भी जिम्मेदार मान लिया जाता है, जिसके लिए वह जिम्मेदार होता नहीं है। मीडिया सही अर्थों में घटनाओं के होने के बाद उसकी प्रस्तुति या विश्लेषण की ही भूमिका में नजर आता है। आतंकवाद जैसे प्रश्न के समाधान में मीडिया एक बहुत सामान्य सहयोगी की ही भूमिका निभा सकता है। भारत जैसा देश आतंकवाद के अनेक रूपों से टकरा रहा है। एक तरफ पाक पोषित आतंकवाद है तो दूसरी ओर वैश्विक इस्लामी आतंकवाद है, जिसे अलकायदा, जैश–ए–मोहम्मद जैसे संगठन पोषित कर रहे हैं। इसी तरह पूर्वोत्तर राज्यों में चल रहा आतंकवाद तथा अति वामरूझानों में रूचि रखने वाला माओवादी आतंकवाद, जिसने वैचारिक खाल कुछ भी पहन रखी हो, पर हैं वे भारतीय लोकतंत्र के विरोधी ही।

ऐसे समय में जब आतंकवाद का खतरा इतने रूपों में सामने हो, तो

मीडिया के किसी भी माध्यम में काम करने वाले व्यक्ति की उलझनें बढ़ जाती हैं। एक तो समस्या की समझ और उसके समाधान की दिशा में सामाजिक दबाव बनाने की चुनौती सामने होती है, तो दूसरी ओर मीडिया की लगातार यह चिंता बनी रहती है कि कहीं वह इन प्रयासों में जरा से विचलन से भारतीय राज्य या लोकतंत्र का विरोधी न मान लिया जाए। घटनाओं के कवरेज के समय उसके अतिरंजित होने के खतरे तो हैं, पर साथ ही अपने पाठक और दर्शक से सच बताने की जिम्मेदारी भी मीडिया की ही है। यह बात भी सही है कि आंतकवाद के कवरेज के नाम पर कुछ बेहद फूहड़ प्रस्तुतियाँ भी मीडिया में देखने को मिलीं, जिनकी आलोचना भी हुई। किंतु यह कहने और स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। हर संकट के समय भारतीय मीडिया ने अपने देश, गौरव तथा आतंकवाद के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता को प्रकट किया है। मुंबई धमाकों के समय भारतीय मीडिया की भूमिका को काफी लांछित किया गया और उसके सीधे प्रसारण को कुछ लोगों की मौत का जिम्मेदार भी माना गया। किंतु ऐसे प्रसंगों पर सरकार की जबाबदेही भी सामने आती है। मीडिया अपनी क्षमता के साथ आपके साथ खड़ा है। किस प्रसंग का प्रसारण करना, किसका नहीं, इसका नियमन मीडिया स्वयं नहीं कर सकता। जब सीधे प्रसारण को रोकने की बात सेना की ओर से कही गयी, तो, मीडिया ने तत्काल इस पर अमल भी किया था।

यह बहुत जरूरी है कि आतंकवाद जैसे राष्ट्रीय प्रश्न पर मीडिया की भूमिका पर विचार जरूर हो। कवरेज की हदें और सरहदें जरूर तय हों। खासकर ऐसे मामलों में कि जब सेना या सुरक्षा बल कोई सीधी लड़ाई लड़ रहे हों। मीडिया पर सबसे बड़ा आरोप यही है कि वह अपराध या आतंकवाद के महिमामंडन का लोभ संवरण नहीं कर पाता। यही प्रचार आतंकवादियों के लिए मीडिया ऑक्सीजन का काम करता है। यह गंभीर चिंता का विषय है। इससे आतंकियों के हौसले तो बुलंद होते ही हैं, आम जनता में भय का प्रसार भी होता है। विचारक बौसीओऊनी लिखते हैं कि '"वास्तव में संवाददाता पूर्णतया सत्य खबरों का विवरण नहीं देते। परिणामतः वे इस प्रक्रिया में एक विषयगत भागीदार बन जाते हैं। ये मुख्यतया समाचार लेखक ही होते हैं। आतंकवादी इन स्थितियों का पूर्ण लाभ उठा लेते हैं और बड़ी ही दक्षतापूर्वक इन जनमाध्यमों का उपयोग अपने स्वार्थ एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कर लेते हैं।"'

देश जब एक बड़ी लड़ाई से मुखातिब है, तो खास संदर्भ में मीडिया को भी अपनी भूमिका पर विचार करना चाहिए। आज असहमति के अधिकार के नाम पर देश के भीतर कई तरह के सशस्त्र संघर्ष खड़े किए जा रहे हैं, लोकतंत्र में भरोसा न करने वाली ताकतें इन्हें कई बार समर्थन भी करती नजर आती हैं। यह भी बड़ा गजब है कि लोकतंत्र में आस्था न रखने वाले, खून–खराबे के दर्शन में भरोसा करने वालों के प्रति भी सहानुभूति रखने वाले मिल जाते हैं, जिन्हें अरबन नक्सल कहकर भी संबोधित किया जा रहा है। राज्य या पुलिस अथवा सैन्य बलों के अतिवाद पर तो विचार–जांच करने के लिए संगठन हैं, किंतु आतंकवादियों या माओवादियों के विरूद्ध आमजन किसका दरवाजा खटखटाएँ। यह सवाल सोचने को विवश करता है। क्रांति या किसी कौम का राज लाना और उसके माध्यम से कोई बदलाव होगा, ऐसा सोचने वाले मूर्खों के स्वर्ग में रहने जैसा ही है। शासन की तमाम प्रणालियों में लोकतंत्र ही अपनी तमाम बुराइयों के बावजूद सबसे श्रेष्ठ प्रणाली मानी गयी है। ऐसे में मीडिया को यहाँ सावधान रहने की जरूरत है कि ये ताकतें कहीं उसका इस्तेमाल न कर ले जाएँ। सूचना देने के अपने अधिकार के साथ ही साथ हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी अपने देश के प्रति भी है। अतएव किसी भी रूप में आतंकवादी हमारी ताकत से प्रचार या मीडिया आक्सीजन न पा सकें, यह देखना जरूरी है। विद्वान विलियम कैटन लिखते हैं कि '"आतंकवाद बुनियादी रूप से एक रंगमंच की तरह होता है। आतंकवादी गतिविधियों के द्वारा यह समूह जनता में अपनी भूमिकाएँ अभिनीत करता है, एवं जन माध्यमों एवं मीडिया द्वारा इसे लोगों तक सुगमता से पहुँचाता है।"

दिव्य अग्रवाल

शिक्षित जिहादी, अशिक्षित जिहादी से बड़ा खतरा

आतंक एक मजहब का है किसी एक देश का नहीं

एक बात सबको समझनी होगी कि आतंक ही जिहाद है और जिहाद ही आतंक है। जिस किसी को भी जिहाद करनी है, उसे पाकिस्तान का होने की आवश्यकता नहीं, बल्कि इस्लाम के कट्टरवाद का अनुयायी होना पर्याप्त है। निश्चित है कि पाकिस्तान भारत में रह रहे इस्लामिक कट्टरवादियों का हरसम्भव सहयोग करेगा, क्योंकि उनका रिश्ता मजहब का है, जो कि अनेकों बार, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाह इल्लल्लाह जैसे इस्लामिक नारों से प्रकाशित और प्रमाणित भी हो चुका है, अतः किसी भी आतंकी घटना को मात्र पाकिस्तान से जोड़ कर देखना पूर्णतः उचित नहीं, क्योंकि मजहबी जिहाद करने वाले मुसलमान भारत में भी बहुत हैं। आज तक जितनी भी आतंकी घटनाएँ घटित हुईं, सबमें भारतीय मुसलमानों की संलिप्तत्ता पायी गयी। हम यह नहीं कह रहे कि हर मुसलमान आतंकी या जिहादी है, पर, यह अवश्य कह रहे हैं कि जिस मुसलमान ने मजहब की वह शिक्षा प्राप्त की, जिसमें गैर मुस्लिमों को मुसलमान बनाना या उनका कत्ल करना वाजिव/दायित्व है, वह व्यक्ति कितना भी शिक्षित हो जाय, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण मजहबी शिक्षा है, जिसमें उसे जन्नत तभी मिलेगी, जब वह काफिरों का कत्ल करेगा।

क्या अंतर रहा, शिक्षा के अभाव में यदि कसाई का काम करते हुए जानवरों की हत्या करनी पड़ती है, तो शिक्षित डॉक्टर होने के पश्चात काफिर/गैर मुस्लिमों की हत्या करना जीवन का उदेश्य बन जाता है। कल्पना कीजिए कि मजहबी शिक्षा कितनी विनाशकारी होती है, जो एक महिला तक को जिहादी आतंकियों का सरगना बना देती है।

वास्तव में सुरक्षा एजेंसियों को साधुवाद है, जिनकी सतर्कता के चलते महाविनाश होने से बचा, लेकिन भविष्य की चिंता अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम के अनुसार तो प्रत्येक जिहादी आतंकी, मुजाहिद हैं, यदि कुछ मर भी गए तो कल अन्य मुजाहिद मिल जाएंगे, जिन्हें अपनी कुर्बानी देने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उन्हें काफिरों का कत्ल करके जन्नत में जाकर हूरों से मिलना है।

सत्य है चीन की तरह मजहबी शिक्षा और मजहबी कट्टरवादिता को पूर्ण रूप से समाप्त करना होगा, तभी मानवता जीवित रह सकती है। दूसरी बात जिन सेक्युलर हिन्दुओं को इन जिहादी आतंकियों में भाईचारा नजर आता है, तो जरा विचार करें कि दिल्ली बम धमाके में यदि कोई उनका अपना होता, तो वह क्या करते? हिन्दू राष्ट्र एकमात्र विकल्प है। कैंसर का उपचार पेरासिटामोल की गोली से नहीं हो सकता। सबका विकास, सबका विश्वास केवल गैर इस्लामिक समाज के लिए सदैव विनाश लेकर आया है और आगे भी महाविनाश ही लेकर आएगा। इन सबके पश्चात भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को कोटि–कोटि साधुवाद, जिनके अथक प्रयास, सजगता और सतर्कता से अभी के महाविनाश को रोका जा सका।

विश्व राजनीति में उभरता इस्लामी-कम्युनिस्ट गठजोड़ और इसका वैश्विक प्रभाव

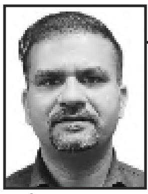

डॉ. वरुण कुमार

न्यूयॉर्क मेयर चुनाव के 5 नवंबर को आए नतीजे ने जहाँ विश्व को स्तब्ध किया, वहीं एक बार फिर से आगाह भी कर दिया कि विश्व, राजनीति आज एक निर्णायक मोड़ पर है, जहाँ मुस्लिम डायस्पोरा से उभर रहे युवा नेता न केवल पश्चिमी लोकतंत्रों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता हासिल कर रहे हैं, बल्कि विदेश नीति, कथित सामाजिक न्याय और वैश्विक संघर्षों पर भी बेहद गहरा असर डाल रहे हैं। जोहरान क्वामे मामदानी की न्यूयॉर्क सिटी मेयर पद पर ऐतिहासिक जीत इसका सबसे ताजा उदाहरण है। ऐसे ही उभरते मुस्लिम नेताओं की विस्तृत सूची आगे दी गई है, जिन्होंने 2024–2025 चुनावों में महत्वपूर्ण सफलताएँ हासिल की हैं–

- जोहरान क्वामे मामदानी (संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूयॉर्क सिटी मेयर, 34 वर्ष)–उगांडा–इंडियन मूल के इस नेता ने नवंबर 2025 में एंड्र्यू कुओमो को हराकर NYC की कमान संभाली, 50.4 प्रतिशत वोट्स के साथ। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट्स ऑफ अमेरिका (DSA) के सदस्य, प्रो–पैलेस्टाइन स्टैंड, अफोर्डेबल हाउसिंग और क्लाइमेट जस्टिस पर ध्यान।
- इल्हान उमर (संयुक्त राज्य अमेरिका, मिनेसोटा कांग्रेसवुमन) – सोमाली रिफ्यूजी मूल, 2024 में दोबारा चुनाव। 'स्क्वॉड' की सदस्य, गाजा पर कट्टर आलोचना और DSA से जुड़ी।
- रशीदा तलीब (संयुक्त राज्य अमेरिका, मिशिगन कांग्रेसवुमन) – पहली पैलेस्टिनियन –अमेरिकन महिला, 2024 दोबारा चुनाव। प्रो–पैलेस्टाइन और BDS सपोर्टर।
- लतीफा साइमन (संयुक्त राज्य अमेरिका, कैलिफोर्निया कांग्रेसवुमन) – 2024 में नई चुनी गई, प्रोग्रेसिव सामाजिक न्याय एजेंडा।
- आंद्रे कार्सन (संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडियाना कांग्रेसमैन) – री–इलेक्टेड, इंटेलिजेंस कमिटी में प्रभावी।
- शॉकत आदम (यूनाइटेड किंगडम, इंडिपेंडेंट MP) – 2024 में प्रो–गाजा कैंपेन से लेबर को हराया।
- अदनान हुसैन (यूनाइटेड किंगडम, ब्लैकबर्न इंडिपेंडेंट MP) – UK का पहला इंडिपेंडेंट मुस्लिम MP.
- अयूब खान (यूनाइटेड किंगडम, बर्मिंघम इंडिपेंडेंट MP) – गाजा मुद्दे पर मजबूत स्टैंड।
- इकबाल मोहम्मद (यूनाइटेड किंगडम, ड्यूसबरी MP) – लेबर पार्टी से नया मुस्लिम MP
- अब्तिसाम मोहम्मद (यूनाइटेड किंगडम, शेफील्ड MP) – पहली सोमाली–हैरिटेज महिला MP ।
- सादिक खान (यूनाइटेड किंगडम, लंदन मेयर) – री–इलेक्टेड, सेंट्रिस्ट लेकिन प्रोग्रेसिव नीतियाँ।
- सलमा जहीद (कनाडा, MP) – 2025 फेडरल चुनाव में रिकॉर्ड मुस्लिम MP में शामिल, लिबरल पार्टी।
- अहमद हुसैन (कनाडा, MP) – आव्रजन और रिफ्यूजी मामलों में प्रभावी।

ये नेता मुख्य रूप से 30–45 आयु वर्ग के हैं, दूसरी या तीसरी पीढ़ी के प्रवासी, और शहरी केंद्रों जैसे NYC, लंदन, टोरंटो आदि में सक्रिय। ध्यान दीजिए, उपलब्ध डेटा के आधार पर, पिछले एक दशक में पश्चिमी देशों में मुस्लिम निर्वाचित अधिकारियों की सँख्या में 40–60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो जनसँख्या वृद्धि से कहीं अधिक तेज है। अमेरिका में काँग्रेस में रिकॉर्ड चार मुस्लिम सदस्य 2024 में बने, जबकि UK में 2024 चुनावों में 25 मुस्लिम MPs चुने गए–यूरोप में सबसे अधिक। जबकि कनाडा में 2025 में 13 मुस्लिम MPs का रिकॉर्ड बना। CAIR की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका में स्थानीय स्तर पर सैकड़ों मुस्लिम अधिकारी हैं, जो 2017 के बाद से तेजी से बढ़े।

इस उभार में स्पष्ट पैटर्न नजर आते हैं – अधिकांश नेता युवा और कथित रूप से प्रोग्रेसिव हैं, गाजा युद्ध (2023–2025) ने उनके अभियानों को बूस्ट दिया, जहाँ 'अनकमिटेड' वोट्स (अमेरिका) और इंडिपेंडेंट कैंपेन (UK) ने पारंपरिक पार्टियों को चुनौती दी। सोशल मीडिया और संगठन जैसे DSA या The Muslim Vote ने इस मोबिलाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी डायस्पोरा से जुड़ी इंटीग्रेटिव राजनीतिक पहचान है, जहाँ धार्मिक पहचान सामाजिक न्याय से जुड़ जाती है। जबकि मूल विचारधारा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है – उदाहरणार्थ फ्री हेल्थकेयर, हाउसिंग रिफॉर्म, क्लाइमेट जस्टिस और प्रो–पैलेस्टाइन पॉलिसी का अवलंबन (सीजफायर, BDS)। और गहनता से विश्लेषण किया जाए, तो इसे 'इस्लामो–लेफ्टिज्म' या 'रेड–ग्रीन अलायंस' मानने के अधिकांश कारक मौजूद हैं। जहाँ लेफ्ट एंटी–इंपीरियलिज्म के नाम पर इस्लामिक तत्वों को सपोर्ट करता है। DSA के मार्क्सिस्ट संबंधों और गाजा प्रोटेस्ट्स में लेफ्ट–इस्लामिस्ट गठबंधन सर्वविदित ही हैं, लेकिन ये चुने गए नेता कम्युनिस्ट नहीं बल्कि सोशल डेमोक्रेट कहलाते हैं। फ्रांस में प्रचलित शब्द 'इस्लामो– गॉशिज्म' भी इसी गठजोड़ को लक्ष्य करता है।

विश्व की राजनीति पर विशेष रूप से बड़े पश्चिमी देशों की आंतरिक और विदेश नीति पर इसका बड़ा प्रभाव उभर रहा है। ये नेता खुले में अब इसराइल सहायता पर दबाव डाल रहे हैं, जिससे डेमोक्रेटिक/लेबर पार्टियों में विभाजन पैदा हो रहा है। इन्हीं के उभार के परिणाम स्वरूप, युवा पीढ़ी में प्रो–पैलेस्टाइन भावना बढ़ी, मुस्लिम देशों में लोकतंत्र की अपील घटी है। घरेलू स्तर पर न्यूयॉर्क जैसे शहरों में तथाकथित सोशलिस्ट रिफॉर्म आने अब तय हैं। इसके साथ ही ध्रुवीकरण, अनुमानतः और बढ़ेगा, यह ट्रेंड भी संभवतः अभी और उछाल लेगा।

'वंदे मातरम्' के 150 वर्ष पूरे

एक राष्ट्रीय गीत जिसने स्वतंत्रता, स्वदेशी आंदोलन, पर्यावरण जागरूकता और धार्मिक बहस को गति दी

मंगलेश सोनी (युवा स्तम्भकार)

जब हम भारत को माता कहते हैं, तो हमारा तात्पर्य किसी जमीन के टुकड़े से नहीं बल्कि एक सचेतन, जीवंत देवता से होता है, जो दिव्यता के गुणों का प्रतीक है। माँ दिव्यता, निःस्वार्थ प्रेम, देखभाल का प्रतीक है और हमेशा सभी बच्चों, अच्छे और बुरे की भलाई और शांति की कामना करती है। ऐसी माँ का कोई तिरस्कार कैसे कर सकता है ? इतिहास में आक्रमणकारियों द्वारा कई संस्कृतियों को नष्ट और समाप्त किया गया है, लेकिन केवल सनातन सँस्कृति ही 200 से अधिक बर्बर आक्रमणों के बावजूद बची हुई है। गहन जाँच से पता चलेगा कि सनातन सँस्कृति केवल एक धारणा या विचार नहीं है, बल्कि एक वास्तविक सच्चाई है जो व्यावहारिक रूप से कार्य करती है और प्रत्येक व्यक्ति में यह भावना विकसित करती है कि 'भारत माता' सर्वोपरि है। यह एक राष्ट्र के रूप में भारत और भारत माता के प्रति कृतज्ञता का भाव विकसित करता है, यह स्वीकार करते हुए कि मैंने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया है वह 'भारत माता' के कारण है और समाज व राष्ट्र के लाभ के लिए प्रयास करना और उसकी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है।

सबसे प्रसिद्ध और प्रेरक नारा 'वंदे मातरम' है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से कई वर्ष पहले, 1767–1800 के संन्यासी–फकीर विद्रोह के दौरान इसके अस्तित्व के संकेत मिले थे। पूरे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह देशभक्तों द्वारा भारतीय जनता को एकजुट करने और अपने देश के प्रति गौरव की भावना जगाने के लिए प्रयुक्त मुख्य नारा रहा। 1876 में बंकीमचंद्र चट्टोपाध्याय ने इसके बोल बंगाली और संस्कृत में लिखे थे। बाद में इन्हें 1882 में उनके उपन्यास 'आनंदमठ' में शामिल किया गया।

स्वतंत्रता आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, संगीत और पर्यावरण में भारत के महत्व का राष्ट्रीय गीत

इस गीत के बोल भारत को एक दिव्य मातृरूपी स्वरूप में चित्रित करके और उसकी महिमा, सौंदर्य और शक्ति का गुणगान करके मातृभूमि का सम्मान करते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक आह्वान के रूप में 'वंदे मातरम' की पंक्तियाँ राष्ट्र के प्रति गहरी देशभक्ति और सम्मान की भावना को प्रेरित करती हैं। प्रसिद्ध भारतीय संगीतज्ञ रवींद्रनाथ टैगोर ने एक ऐसा गीत स्वरबद्ध किया, जो भारतीय जनमानस की भावनाओं से ओतप्रोत था और उन्होंने 'वंदे मातरम' के भावपूर्ण शब्दों को संगीत में ढाला। यह गीत विभिन्न शैलियों और व्याख्याओं में विकसित होकर ब्रिटिश शासन के विरोध का प्रतीक बन गया। यह गीत भारत में विभिन्न भाषाई और साँस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों के लिए एक एकीकृत गान बन गया, क्योंकि यह सँस्कृत में लिखा गया था, जो अपने शास्त्रीय और आध्यात्मिक महत्व के लिए बहुमूल्य भाषा है।

'वंदे मातरम' भारत के मुक्ति संग्राम के लिए महत्वपूर्ण था। यह राष्ट्रीय जनमानस में तब प्रवेश कर गया जब रवींद्रनाथ टैगोर ने इसे पहली बार 1886 में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस में गाया। इस गीत ने शीघ्र ही लोकप्रियता हासिल की और यह जुलूसों, रैलियों और अन्य राष्ट्रवादी आयोजनों का मुख्य हिस्सा बन गया।

बंगाल को विभाजित करने के ब्रिटिश निर्णय की प्रतिक्रिया में 1905 में शुरू किए गए स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख भूमिका निभाई। इस अभियान द्वारा भारतीयों से ब्रिटिश आयातों के बजाय भारत में बने उत्पादों का समर्थन करने का आग्रह किया गया। यह देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने और ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचाने के लिए किया गया था। पूरे देश के लोगों ने विरोध प्रदर्शन आयोजित करके, आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करके और केवल भारत में निर्मित उत्पादों का उपयोग करके इसमें भाग लिया।

20वीं सदी के आरंभ में स्वदेशी आंदोलन के दौरान 'वंदे मातरम' ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के विरोध का प्रतीक बन गया। स्वतंत्रता सेनानियों, कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों, सभी ने इस गीत का गायन किया, जिसने अन्याय के

विरुद्ध साहस और समर्थन का संदेश दिया। अरबिंदो घोष, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने 'वंदे मातरम' को एक जन–घोष के रूप में इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया और यह जल्द ही भारत के स्वतंत्रता अभियान की भावना का प्रतीक बन गया। इस गीत की जन–जन को प्रेरित करने की क्षमता को पहचानते हुए, अँग्रेजों ने इसे दबाने की कोशिश की, लेकिन उनके प्रयासों ने इसे और अधिक प्रसिद्ध बना दिया।

'वंदे मातरम' हाल के वर्षों में पर्यावरणीय चेतना और जवाबदेही के प्रतीक के रूप में और अधिक प्रसिद्ध हो गया है। इस गीत के कुछ संस्करणों ने भारत माता की प्राकृतिक सुंदरता के संरक्षण के महत्व को उजागर और सम्मानित करके देशभक्ति को सतत विकास के व्यापक उद्देश्य से जोड़ा है। 'वंदे मातरम' का यह विकसित होता संस्करण इस गीत के चिरस्थायी महत्व और नई भारतीय पीढ़ियों को राष्ट्र की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रेरित करने की इसकी क्षमता को उजागर करता है। यह एक ऐसा गीत है, जिसने भारतीयों को अपने राष्ट्र से प्रेम करने के लिए प्रेरित किया है और सभी राष्ट्रीय समारोहों में एक अनुस्मारक और सम्मान के प्रतीक के रूप में व्यापक रूप से गाया जाता है।

शुरुआत में बंगाली में लिखे जाने के बावजूद, वंदे मातरम एक ऐसा राष्ट्रगान बन गया, जिसने भाषाई और भौगोलिक बाधाओं के बावजूद पूरे भारत के लोगों को एक साथ लाया। विभिन्न साँस्कृतिक, धार्मिक और भौगोलिक मूल के लोगों को जोड़ने की इसकी क्षमता राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में इसके योगदान पर जोर देती है। समय के साथ यह भारत की साँस्कृतिक विविधता और एकजुटता का प्रतिनिधित्व करने लगा। रवींद्रनाथ टैगोर की वंदे मातरम धुन का भारतीय संगीत पर दीर्घकालिक प्रभाव रहा है। इसे लोक, शास्त्रीय और समकालीन संस्करणों सहित विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया गया है और इसने देशभक्ति के कार्यक्रमों और भारतीय संगीत प्रदर्शनों में एक बड़ी भूमिका निभाई है। कविता, साहित्य और कलात्मक अभिव्यक्ति, सभी इस गीत से प्रभावित हुए हैं, जो भारतीय राष्ट्रवाद का प्रतिनिधित्व करता है।

अपनी रचना 'महायोगी' में अरबिंदो घोष इस गीत के महत्व को संक्षेप में समझाते हुए कहते हैं, 'वंदे मातरम राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति था।' जैसे–जैसे यह पूरे भारत में तेजी से फैला, लाखों लोग इसके बारे में बात करने लगे। कैम्ब्रिज के शिक्षाविदों ने इस गीत को 'स्वदेशी आंदोलन का सबसे महान और सबसे स्थायी उपहार' माना है। 2002 के बीबीसी वर्ल्ड सर्विसेज पोल के अनुसार वंदे मातरम दुनियाँ भर में दूसरा सबसे लोकप्रिय गीत था।

धार्मिक और राजनीतिक प्रेरणाओं ने इस गीत को कैसे विवादास्पद बना दिया

यह ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध क्रांति का गान था। इस गीत की प्रशंसा भगत सिंह, अशफाकउल्लाह खान, राजगुरु, सुखदेव, खुदी राम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल आदि सभी महान क्रांतिकारियों ने की थी। फाँसी पर चढ़ने से पहले उन्होंने अपने अंतिम शब्द 'वंदे मातरम' कहे थे। 'वंदे मातरम' एकमात्र ऐसा गीत है, जो राष्ट्रगीत होना चाहिए। अशफाकउल्लाह और अन्य मुस्लिम विद्रोहियों ने भी इस गीत की प्रशंसा की थी, इसलिए यह धार्मिक नहीं है। मुसलमानों को शांत करने के उद्देश्य से 1937 में कोलकाता में काँग्रेस कार्यसमिति की बैठक के दौरान इस राष्ट्रीय गीत को छोटा करने का निर्णय लिया गया और इस तरह इस गीत का दुर्भाग्य का दौर शुरू हुआ। फिर भी मुसलमान संतुष्ट नहीं हुए। वे इस धुन को पूरी तरह से मिटा देना चाहते थे। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बैरिस्टर जिन्ना ने 17 मार्च, 1938 को 'वंदे मातरम' की प्रारंभिक पंक्ति के प्रदर्शन पर आपत्ति जताई थी।

भारत के कई हिस्सों में 1937 में काँग्रेस मंत्रिमंडल ने सत्ता संभाली। कुछ लोगों का मानना रहा होगा कि 'वंदे मातरम' के जल्द ही अच्छे दिन आएँगे, लेकिन यह भी गलत था। मुसलमानों के तुष्टिकरण के तहत ऑल इंडिया रेडियो पर 'वंदे मातरम' गाने पर सख्त पाबंदी लगा दी गई थी। सुप्रसिद्ध गायक मास्टर कृष्णराव ने इसके लिए कड़ा संघर्ष किया। इस तर्क के तहत कि 'अगर रेडियो पर 'वंदे मातरम' नहीं है, तो मेरा कोई गीत नहीं है', उन्होंने कई वर्षों तक ऑल इंडिया रेडियो पर प्रस्तुति नहीं दी। आदरणीय कृष्णराव के प्रयासों से मार्च 1947 में 'वंदे मातरम' पर से प्रतिबंध हटा लिया गया।

आदरणीय कृष्णराव फुलंब्रीकर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के इस दावे को वैज्ञानिक दृष्टि से गलत सिद्ध किया कि 'वंदे मातरम' का बैंड के साथ कोई तुक नहीं बनता। कृष्णराव फुलंब्रीकर के

प्रयास इतने महान थे कि उन्हें 'वंदे मातरम कृष्णराव' कहा जाने लगा। श्री अमरेंद्र गाडगिल ने 'वंदे मातरम की ऐतिहासिक गाथा' नामक पुस्तक लिखी थी। उन्होंने इस पुस्तक में लिखा है कि 'स्वतंत्र भारत में राष्ट्रगीत क्या हो, इस पर वास्तविक चर्चा का कोई कारण नहीं था, लेकिन 1937 में काँग्रेस द्वारा 'वंदे मातरम' के प्रति तिरस्कार की दुर्बलता के कारण, पंडित नेहरू ने इस देशभक्ति गीत को राष्ट्रगीत के स्थान से हटा दिया।' काँग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच संबंध 1937 में स्थापित हुए, जब काँग्रेस मंत्रिमंडल क्षेत्रीय प्रशासन में शामिल हो गया। लोकतंत्र के हर पहलू की देखरेख करने के बाद, पंडित नेहरू अंत तक एक स्वतंत्र सम्राट की तरह शासन करते रहे। परिणामस्वरूप नेहरू के शासनकाल के बाद भी यह विचार कायम रहा कि 'काँग्रेस जो कहे वही कानून है और पंडित नेहरू जो कहें वही काँग्रेस है'। इन दोनों के कारण राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' को उसके उचित स्थान से वंचित करने का राष्ट्रीय पाप किया गया। इसका अर्थ है कि यह गीत संगीत में राजनीति और नेहरू विचारधारा का शिकार हो गया। इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पर्याप्त प्रमाण हैं कि नेहरू पहले ही इस गीत को राष्ट्रगान न बनाने का मन बना चुके थे। संविधान समिति ने अंततः 24 जनवरी, 1950 को, भारत के गणतंत्र की घोषणा से दो दिन पहले, 'जन गण मन' को राष्ट्रगान के रूप में अनुमोदित किया, जिसका हम सभी समान रूप से सम्मान करते हैं।

2017 में चेन्नई उच्च न्यायालय ने घोषणा की कि इसे सरकारी स्कूलों में सप्ताह में एक बार गाया जाना चाहिए। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस गीत को जन गण मन के समान दर्जा देने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि यह कुछ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचाता है।

शिरीष कुमार, एक नाबालिग

शिरीष बाल महाराष्ट्र के नंदुरबार के मूल निवासी थे। छोटे बच्चों से बनी एक छोटी सी सेना गाँधीजी के आदेशों का पालन करते हुए वंदे मातरम और महात्मा गाँधी की जय जैसे नारे लगाते हुए अँग्रेजों के दिल तोड़ रही थी। जब सेना नंदुरबार चौक पहुँची, तो शिरीष उस मार्च का नेतृत्व कर रहे थे। अँग्रेज सैनिक उन्हें रोकने के लिए तैयार थे और उनके सरदार ने उन्हें डाँटा और धमकी दी कि अगर वे आगे बढ़े तो गोली मार देंगे। शिरीष कुमार ने इस फटकार को अनसुना कर दिया और जोर–जोर से नारे लगाते हुए मार्च करते रहे। उस क्रूर अधिकारी ने उन्हें गोली मार दी, लेकिन वे अंत तक वंदे मातरम का नारा लगाते रहे।

भारतीय सँस्कृति और विरासत का प्रतीक भारत का राष्ट्रगीत है

भारतीय सँस्कृति और विरासत का एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व भारत का राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित यह भजन राष्ट्र के इतिहास में, विशेषकर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण रहा है। भारत में अनेक भाषाएँ, समृद्ध साँस्कृतिक इतिहास और गहरी जड़ें वाले रीति–रिवाज हैं। राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगीत जैसे इस विशाल विविधता को दर्शाने वाले प्रतीकों के लिए भारतीयों के हृदय में विशेष स्थान है। भारत का राष्ट्रगीत, 'वंदे मातरम', गौरव और एकता का ऐसा ही एक प्रतीक है। लाखों भारतीय आज भी 'वंदे मातरम' से प्रेरित हैं, जिसने देश के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत की संविधान सभा ने 24 जनवरी, 1950 को 'वंदे मातरम' को देश का राष्ट्रगीत घोषित किया। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की कि 'वंदे मातरम' को राष्ट्रगान 'जन गण मन' के समान सम्मान दिया जाना चाहिए। 'वंदे मातरम' आज भी एकजुटता और देशभक्ति का एक प्रिय गीत है, भले ही 'जन गण मन' को राष्ट्रगान के रूप में चुना गया हो और हर भारतीय हमारे राष्ट्रगान का समान रूप से सम्मान करता है।

मातृशक्ति व दुर्गावाहिनी ने कन्याओं को दिया विवाह उपहार

सिरोही। विश्व हिन्दू परिषद की मातृशक्ति एवं दुर्गावाहिनी की ओर से कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर संत रविदास सेवा बस्ती में एक सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की चार कन्याओं को तुलसी पूजन के साथ विवाह की सामग्री प्रदान की गई। इनमें बर्तन सेट, साड़ियाँ एव श्रृंगार सामग्री शामिल थी। कार्यक्रम में मातृशक्ति उपाध्यक्ष श्रीमती इंदिरा खत्री, दुर्गावाहिनी विभाग संयोजिका पिंकी राजपुरोहित, जिला सह संयोजिका रंजना देवी, सुंदर कंवर, शालिनी वर्मा, नीरू रावल एवं अंजलि राणावत उपस्थित रहीं। सभी ने मिलकर सेवा और संस्कार का संदेश दिया।

खलीफा आंदोलन और तुर्की सहायता

डॉ. अतुल गोयल

पाकिस्तान का जन्म के समय से ही तुर्की के साथ मजबूत सैन्य सहयोग है। पाकिस्तान की आतंकवादी मानसिकता के कारण उसके लगभग समस्त मुस्लिम भाईचारा बाले राष्ट्र भी उसका साथ छोड़ चुके हैं। सुन्नी मुस्लिम बहुसँख्यक पाकिस्तान से सिया मुस्लिम राष्ट्र तो पहले से दुश्मनी रखते थे, लेकिन पिछले दशक में भारत की तेजी से वृद्धि करती अंतर्राष्ट्रीय छवि और विश्वगुरु होने के हमारे प्रमाण के कारण सुन्नी बाहुल्य राष्ट्रों ने भी भारत से अच्छी तरह से दोस्ती बनाई है। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ईरान, ईराक, कतर तथा अफगानिस्तान इत्यादि देशों ने भारत की कार्यवाही का समर्थन किया। अफगानिस्तान ने तो पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश करने में भारत का भरपूर सहयोग भी किया। इस विश्वव्यापी समर्थन के बीच तुर्की का पाकिस्तान को समर्थन करना अत्यंत दुखद था।

तुर्की ने पाकिस्तान को कई उन्नत ड्रोन सिस्टम प्रदान किए हैं, जिनमें प्रमुख हैं–बायरक्तार टीबी 2, यह तुर्की की कंपनी बायकर द्वारा निर्मित एक सशस्त्र ड्रोन है, जो निगरानी और सटीक हमलों के लिए जाना जाता है। बायरक्तार अकिंसी, यह हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है, जो 1350 किलोग्राम हथियार ले जा सकता है और 7500 किलोमीटर की रेंज के साथ 25 घंटे तक उड़ान भर सकता है। पाकिस्तान को 2023 में तुर्की से इन ड्रोन्स का पहला बैच मिला था। सोंगार, तुर्की की कंपनी असिसगार्ड द्वारा निर्मित यह सशस्त्र ड्रोन सिस्टम है, जिसे पाकिस्तान ने मई 2025 में भारत के खिलाफ कथित तौर पर इस्तेमाल किया। यह ड्रोन ऑटोमेटिक मशीन गन, मिनी मिसाइल और मोर्टार राउंड से लैस हो सकता है और निगरानी के साथ– साथ हमले के लिए डिजाइन किया गया है। भारतीय अधिकारियों ने दावा किया कि 8–9 मई 2025 की रात पाकिस्तान ने 36 स्थानों पर 300–400 तुर्की निर्मित सोंगार ड्रोन्स का उपयोग कर भारत के सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने इन ड्रोन्स को बहुत आसानी से नाकाम कर दिया।

भारत की वायु रक्षा प्रणाली एक बहुस्तरीय, अत्याधुनिक रक्षा ढांचा है, जो हवाई खतरों जैसे मिसाइलों, ड्रोनों और शत्रु विमानों से देश की रक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्रणाली स्वदेशी, रूसी और इजरायली प्रौद्योगिकियों का मिश्रण है, जिसने भारत को अभेद सुरक्षा प्रदान की है।

S-400 ट्रायम्फ, लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, जो 400 किमी तक के हवाई खतरों (विमान, मिसाइल, ड्रोन) को नष्ट कर सकती है। आकाश मिसाइल प्रणाली, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, जो 25–30 किमी की रेंज में प्रभावी है। यह विमानों और ड्रोनों को आसानी से लक्षित कर सकती है। पृथ्वी वायु रक्षा और अडवांस्ड एयर डिफेंस जबकि बैलिस्टिक मिसाइल हमले को रोक सकता है। S-125 पेचोरा और बैरक–8 जो कि 70–100 किमी की रेंज में क्रूज मिसाइलों, विमानों, और ड्रोनों को नष्ट कर सकती है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, यह कम दूरी के हवाई खतरों (ड्रोन, हेलिकॉप्टर) के खिलाफ प्रभावी। L-70 एयर डिफेंस गन, ZSU–23–4 शिल्का गन, नेत्रा AEW-C और स्पाइडर और डर्बी मिसाइलों से भारतीय फौज ने तुर्की के इन जेंटलमैन ड्रोन की धज्जियाँ उड़ा दीं।

तथापि तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन द्वारा 7 मई 2025 से लगातार पाकिस्तान को दिया जा रहा कूटनीतिक और सामरिक समर्थन हमारे लिए अत्यंत पीड़ा और आत्म चिंतन का विषय है। तुर्की एक अंतरमहाद्वीपीय देश है, जो एशिया और यूरोप के बीच स्थित है। तुर्की का अधिकांश हिस्सा पश्चिमी एशिया (एशिया माइनर या अनातोलिया) में और एक छोटा हिस्सा दक्षिण–पूर्वी यूरोप (थ्रेस) में है। इसे दो महाद्वीपों को जोड़ने वाला सेतु माना जाता है।

तुर्की का क्षेत्र प्राचीन सभ्यताओं जैसे हित्ती, ग्रीक, रोमन और बाइजेंटाइन

का केंद्र रहा। 13वीं शताब्दी में ओटोमन साम्राज्य का उदय हुआ, जो 1923 में तुर्की गणराज्य बनने तक चला। मुस्तफा कमाल अतातुर्क को आधुनिक तुर्की का संस्थापक माना जाता है, जिन्होंने सुन्नी मुस्लिम कट्टरपंथी का डटकर सामना किया और तुर्की को एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाने में सफल हुए, लेकिन हाल के घटनाक्रम से भय होता है कि यह राष्ट्र एक बार फिर उस तरह की स्थिति में न पहुँच जाए, जहाँ 1923 के पहले हुआ करता था। तुर्की का कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन और सीरिया, लीबिया में सैन्य हस्तक्षेप विवादास्पद रहा है। तुर्की द्वारा पाकिस्तान को प्रदान किए गए ड्रोन का कथित तौर पर भारत के खिलाफ उपयोग हुआ, जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ा।

भारत विरोधी तुर्कों की इस सोच की जड़ों में खलीफा आंदोलन है, जिसके बीज 1919 में कट्टरपंथी और अलगाववादी भारतीय मुसलमानों द्वारा बोए गए थे। एक धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन था, जिसका उद्देश्य तुर्की में खलीफा (इस्लामी खलीफत) की स्थिति को बचाना और प्रथम विश्व युद्ध के बाद उसकी शक्ति को पुनर्स्थापित करना था। यह आंदोलन मुख्य रूप से मित्र राष्ट्रों के खिलाफ था, क्योंकि ब्रिटिश और उनके सहयोगियों ने ओटोमन साम्राज्य को कमजोर किया था, जिसके सुल्तान को मुस्लिम दुनियाँ का खलीफा माना जाता था।

प्रथम विश्व युद्ध (1914–1918) में ओटोमन साम्राज्य की हार के बाद, मित्र राष्ट्रों (विशेषकर ब्रिटेन) ने तुर्की पर सख्त शर्तें थोपीं, जैसे कि सेव्रेस की संधि (1920), जिसने ओटोमन खलीफत को कमजोर कर दिया। भारतीय मुसलमानों के लिए खलीफा एक धार्मिक और आध्यात्मिक नेता था और उसकी स्थिति को खतरे में देखकर उन्होंने इसका विरोध किया।

आंदोलन का नेतृत्व अली बंधु (मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली), हकीम अजमल खान, अबुल कलाम आजाद और अन्य प्रमुख मुस्लिम नेताओं ने किया, जो कि काँग्रेस पार्टी के भी प्रमुख नेता थे। महात्मा गाँधी ने भी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के माध्यम से इस आंदोलन का खुला और अंधा समर्थन किया, जिससे हिंदू–मुस्लिम एकता विभाजित हुई। इस खिलाफत का उद्देश्य खिलफत की स्थिति को बहाल करना, तुर्की की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना और ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालना कि वह तुर्की के खिलाफ कठोर नीतियों को वापस ले।

इस आंदोलन में देशव्यापी प्रदर्शन, हड़ताल, ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार, असहयोग आंदोलन, स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी नौकरियों का बहिष्कार किया गया। 1924 में तुर्की में मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने खलीफत को खुद से ही औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया और एक धर्मनिरपेक्ष सरकार स्थापित की, जिससे आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ही विफल हो गया। इस आंदोलन के समर्थन में तुर्की से अधिक भारत में आंदोलन हुआ। भारत में जगह–जगह खलीफा सम्मेलन और जनसभाएँ आयोजित की जाती थी, जिससे भारत का बहुसँख्यक समाज जो कि राष्ट्रभक्त और गैर साम्प्रदायिक था, वह बुरी तरह प्रभावित हुआ, उनकी नौकरी तथा शिक्षा में व्यवधान हुआ। इस आंदोलन ने हिंदू–मुस्लिम एकता को कमजोर किया और भारत के विभाजन की नींव रखी। भारत की राष्ट्र भक्त जनता द्वारा इस आंदोलन का विरोध किया गया था, भारत विभाजन के पश्चात समस्त खलीफा समर्थकों ने पाकिस्तान को अपना राष्ट्र स्वीकार्य किया था, यही सच आज पाकिस्तान की ढाल बनकर सामने आया था, जिसके मंसूबों को हमारी सेना ने नेस्तनाबूद कर दिया।

dr.atul@bujhansi.ac.in

सनातन एकता, सँस्कृति रक्षण और महिला सम्मान का सशक्त संदेश

जनजाति गौरव दिवस के पावन अवसर पर विश्व–हिन्दू परिषद जोधपुर द्वारा सामाजिक समरसता, महिला सम्मान व सनातन एकता, सँस्कृति के रक्षण की अद्‌भुत पहल की गई। जोधपुर पाल रोड निवासी रुभील समाज के श्री रामचन्द्र जी की बेटी दिव्या का विवाह समारोह है, इस अवसर पर प्रान्त व महानगर पदाधिकारियों ने प्रान्त संगठन मंत्री श्री राजेश जी पटेल के सानिध्य में विवाह समारोह में सहभागिता की तथा दुल्हन दिव्या बहन की बन्दोली पाल बालाजी मंदिर से घोड़ी पर बैठाकर निकाली, इस पहल ने समाज में एक अद्‌भुत मिसाल प्रस्तुत की, क्योंकि यह केवल परंपराओं का उत्सव नहीं था, बल्कि सामाजिक समरसता, साँस्कृतिक

गौरव, महिला सम्मान और जनजातीय अस्मिता का सशक्त संदेश भी लेकर आया।

जनजाति समुदाय की महान शौर्य, सँस्कृति, परंपरा और स्वतंत्रता के प्रतीक धरती आबा भगवान बिरसा–मुंडा की 150 वीं जयंति पर हुए इस समारोह से यह सन्देश निकला कि परंपराएँ प्रगतिशील विचारधारा से जुड़ती हैं, तो समाज में परिवर्तन और प्रेरणा दोनों का प्रवाह होता है। पाल बालाजी मंदिर में पुजारी द्वारा विधिवत पूजा–अर्चना के पश्चात ढोल–नगाड़ों की ताल पर महिलाओं द्वारा मंगल गीतों के साथ संगीता बहन की बंदोली निकाली गई। प्रान्त संगठन मंत्री राजेश जी पटेल ने स्वयं बहन को घोड़ी पर बैठाया तथा लगाम थामी।

भगवान बिरसा मुंडा के जीवन संदेश से प्रेरित यह भाव जनजाति गौरव सँस्कार, परंपरा और सँस्कृति के सम्मान के साथ–साथ सुदृढ़, सशक्त, समरसता युक्त सामाजिक सद्‌भाव के निर्माण में महत्वपूर्ण कड़ी बनेगा।

एसआईआर की सार्थक पहल का विरोध नहीं, स्वागत हो

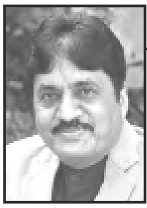

ललित गर्ग

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार के बाद अब देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहण पुनरीक्षण (एसआईआर) की शुरुआत करने की घोषणा करके चुनावी विसंगतियों एवं कमियों को दूर करने का सराहनीय एवं साहसिक कार्य किया है। यह पहल न केवल तकनीकी या प्रशासनिक प्रक्रिया भर है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करने की एक निर्णायक कोशिश है। लोकतंत्र की आत्मा उसके निर्वाचन तंत्र की निष्पक्षता और पारदर्शिता में बसती है और चुनाव आयोग का यह कदम उसी दिशा में एक ठोस, सकारात्मक और आवश्यक प्रयास के रूप में देखा जाना चाहिए। बिहार की एसआईआर प्रक्रिया से सबक लेते हुए इस बार आयोग ने प्रक्रिया के लिए अधिक समय दिया है, ताकि बिहार जैसी जल्दबाजी और अफरातफरी से बचा जा सके। आधार कार्ड को एक सहायक दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया सरल बनेगी।

निश्चित ही इस बार 12 राज्य सँख्या में ज्यादा हैं, तो चुनौती भी उसी हिसाब से ज्यादा बड़ी है। उम्मीद कर सकते हैं कि बिहार में पुनरीक्षण प्रक्रिया में आई दिक्कतें अब आयोग के लिए अनुभव का काम करेंगी और वहाँ जैसी परेशानी बाकी जगहों पर लोगों को नहीं उठानी पड़ेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एसआईआर के शेड्यूल का ऐलान करते हुए कहा कि प्रक्रिया यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी योग्य मतदाता छूट न जाए और कोई भी अयोग्य मतदाता लिस्ट में शामिल न हो। जिन राज्यों को दूसरे चरण में चुना गया है, उनमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गोवा, केरल, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप हैं, इनमें से केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। असम में भी अगले ही साल विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन उसे दूसरे चरण से बाहर रखा गया। आयोग ने इस बार आधार कार्ड को लेकर रुख पहले ही साफ कर दिया है कि यह जन्म, नागरिकता या निवास प्रमाण पत्र के रूप में मान्य नहीं होगा, लेकिन एसआईआर में इसे एक डॉक्युमेंट के रूप में पेश किया जा सकेगा। यह स्पष्टता इसलिए जरूरी थी, क्योंकि बिहार में पहले चरण के दौरान आधार कार्ड का मसला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था। दस्तावेज ऐसे होने चाहिए जो अधिकतम आबादी की पहुँच में हों और आधार आज पहचान का सबसे सरल जरिया है।

मतदाता सूची की सटीकता, पारदर्शिता एवं निष्पक्षता लोकतंत्र की रीढ़ है। भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में मतदाता सूची की सटीकता सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए एक निश्चित अन्तराल के बाद एसआईआर की प्रक्रिया होते रहना अपेक्षित है। इसके पहले एसआईआर करीब दो दशक पहले किया गया था। कम से कम अब तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एसआईआर में इतना अंतराल न आने पाए, क्योंकि अब लाखों लोग नौकरी–पेशे के चलते अन्यत्र चले जाते हैं। इनमें से अधिकांश वहीं बस जाते हैं। कई बार देखा गया है कि मृत व्यक्तियों के नाम सूची में बने रहते हैं, वहीं नये पात्र नागरिकों के नाम दर्ज नहीं हो पाते। ग्रामीण इलाकों से लेकर

महानगरों तक, इस विसंगति के चलते मतदान प्रतिशत प्रभावित होता है और चुनावी परिणामों की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगता है। एसआईआर का मकसद किसी की नागरिकता तय करना या ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर करना नहीं है। यह इतना सरल होना चाहिए, जिससे लोग वोटर बनने के लिए प्रेरित हों और उनमें लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व के लिए उत्साह जगे। मुख्य चुनाव आयुक्त की यह पहल—इन खामियों को दूर करने की दिशा में एक संगठित और वैज्ञानिक लोकतांत्रिक प्रयास है। यदि यह कार्य धरातल पर ईमानदारी से लागू हुआ, तो यह मतदाता सूची की पवित्रता और लोकतंत्र की गरिमा दोनों को बढ़ाएगा।

भारत जैसे दुनियाँ के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए यह बहुत जरूरी है, इसके लिए राजनीतिक दलों की भूमिका एवं सहयोग अपेक्षित है, वे इस प्रक्रिया को सकारात्मक दृष्टि से लें। इस सराहनीय एवं नितांत अपेक्षित उपक्रम के लिए विपक्षी दलों के द्वारा विरोध का वातावरण बनाना एवं आस्तीनें चढ़ाना उनकी विश्वसनीयता एवं जिम्मेदारी पर प्रश्न खड़ा करता है। अक्सर देखा गया है कि जब चुनाव आयोग सुधारात्मक कदम उठाता है, तो विभिन्न राजनीतिक दल अपने—अपने हितों के अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं। परंतु लोकतंत्र का स्वास्थ्य तब ही सुदृढ़ होगा, जब सभी दल 'पारदर्शिता' को 'राजनीतिक लाभ—हानि' से ऊपर रखेंगे। विपक्ष को चाहिए कि वह इस पहल का विरोध करने की बजाय स्वागत करे और इसे सही दिशा में लागू कराने में सहयोग दे, न कि शंका और अविश्वास के चश्मे से देखे। वर्तमान में, राजनीतिक पार्टियों की यह महती जिम्मेदारी है कि वे सिर्फ दोषारोपण करने तक सीमित न रहें बल्कि इस पूरी प्रक्रिया में अपनी जिम्मेदारियाँ निभाएँ। इसी तरह, नागरिक संगठनों के लिए भी यह सक्रिय होने का समय है। उनकी निगरानी बीएलए के काम को अधिक सरल व सटीक बना सकती है। कुल मिलाकर पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने का सपना दिखाने वाले चुनाव आयोग के सामने अभी अपनी इस प्राथमिक जिम्मेदारी को ही निर्विवाद रूप से पूरा करने की चुनौती है।

डिजिटल युग में चुनाव सुधार केवल मानव संसाधन या प्रशासनिक इच्छाशक्ति का नहीं, बल्कि तकनीकी पारदर्शिता का भी प्रश्न है। बायोमेट्रिक सत्यापन, ऑनलाइन नामांकन और डेटा क्रॉस—वेरिफिकेशन जैसे उपाय अब आवश्यक हो चुके हैं। विशेष गहण पुनरीक्षण इस दिशा में आधारभूत कार्य करेगा, यानी चुनावी डाटा की सफाई और पुनर्गठन। भारत की चुनावी प्रक्रिया विश्व में सबसे बड़े लोकतांत्रिक अभ्यास के रूप में जानी जाती है। लेकिन यह गौरव तभी सार्थक होगा, जब मतदाता सूची, मतदान केंद्रों की निष्पक्षता और आचार संहिता के पालन में कोई संदेह न रहे। चुनाव आयोग की यह पहल उसी लक्ष्य की ओर एक ठोस कदम है। लोकतंत्र केवल मतों की गिनती नहीं, बल्कि विश्वास की गिनती है और यह

विश्वास चुनाव आयोग की ईमानदारी, पारदर्शिता और सक्रियता पर टिका है। जन—प्रतिनिधित्व कानून 1950 की धारा 21 चुनाव आयोग को मतदाता सूची तैयार करने और उनको संशोधित करने का अधिकार देती है। मतदाता सूचियों को दुरुस्त करना चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार ही नहीं, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की अनिवार्य आवश्यकता भी है। विडंबना यह है कि कुछ दलों को इस आवश्यकता की पूर्ति किया जाना रास नहीं आ रहा है। उन्होंने बिहार में एसआईआर को लेकर आसमान सिर पर उठाया और वोट चोरी के जुमले के सहारे सड़कों पर उतरने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। मगर उनकी दाल न सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गली और न ही बिहार की जनता के बीच, तो, इसीलिए कि वे कोरा दुष्प्रचार कर रहे थे।

ज्ञानेश कुमार की यह पहल केवल तकनीकी संशोधन नहीं बल्कि लोकतांत्रिक सँस्कृति में नवीनीकरण का संदेश है। चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का माध्यम नहीं, बल्कि जनविश्वास की परीक्षा भी है। यदि यह अभियान ईमानदारी और जनसहभागिता के साथ पूरा होता है, तो यह भारत के लोकतंत्र को और परिपक्व बनाएगा। अब जिम्मेदारी केवल चुनाव आयोग की नहीं बल्कि हर नागरिक और राजनीतिक दल की भी है कि वे इस सुधारात्मक पहल का स्वागत करें और लोकतंत्र के इस महापर्व को निष्कलंक बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाएँ। क्या यह विचित्र नहीं कि विपक्षी दल मतदाता सूचियों में गड़बड़ियों की शिकायत भी करते हैं और उनके पुनरीक्षण का विरोध भी ? हालांकि उनके दुष्प्रचार की पोल खुल चुकी है, फिर भी चुनाव आयोग को इसके लिए तैयार रहना होगा कि विपक्ष शासित राज्य एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध कर सकते हैं। उसे इसके प्रति सतर्क रहना होगा कि मतदाता सूचियों को ठीक करने की प्रक्रिया में किसी तरह की गलती न होने पाए, क्योंकि विपक्षी दल छोटी—छोटी बातों को तूल देकर इस संवैधानिक प्रक्रिया को श्रीहीन करने की चेष्टा कर सकते हैं।

lalitgarg11@gmail.com

कृषि के क्षेत्र में सदैव अग्रणी रहा है भारत

अशोक "प्रवृद्ध"

मनुष्य के जीवन का आधार अन्नों की प्राप्ति कृषि से होती है और हमारा देश भारत प्राचीन काल से ही कृषि प्रधान और कृषि के क्षेत्र में सदैव ही अग्रणी रहा है। भारत में अत्यंत प्राचीन काल से संसार के किसी भी अन्य देश से अधिक किस्मों का अनाज बोया जाता रहा है और भांति–भांति की पौष्टिक जड़ों वाली फसलों का भी यहाँ प्रचलन रहा है। परमेश्वरोक्त ग्रंथ वेद संसार की सभी ज्ञानों का मूल है और वेदादि ग्रंथों में कृषि कर्म के मूलभूत ज्ञान विस्तार से अंकित हैं। वैदिक विद्वानों के अनुसार मनुष्य को कृषि करने का ज्ञान वेदों से ही मिला है। यही कारण है कि वेद, उपनिषद्, इतिहास, पुराण, स्मृति, दर्शन आदि सभी प्राचीन ग्रंथ कृषि और कृषि कार्यों से संबद्ध विवरणों से भरे पड़े हैं। विश्व के सर्वाधिक प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में कृषि व कृषि के वैज्ञानिक तकनीकों का गौरवपूर्ण उल्लेख करते हुए द्युत आदि दुर्गुणों को त्यागकर कृषि कर्म के द्वारा उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने का आवाह्न किया गया है। ऋग्वेद 10/34/13 में कहा गया है–जुआ मत खेलो, कृषि करो और सम्मान के साथ धन पाओ। कृषि कर्म की प्रशंसा करते हुए पराशर स्मृति में कहा गया है –

कृषिर्धन्या कृषिर्मेध्या जन्तूनां जीवनं कृषिः।

–कृषि पाराशर श्लोक 8

अर्थात–कृषि सम्पत्ति और मेधा प्रदान करती है और कृषि ही मानव जीवन का आधार है। यह सर्वविदित तथ्य है कि कृषि कर्म हेतु भूमि और वर्षा अर्थात पर्जन्य की महती आवश्यकता होती है। भूमि और वर्षा की नितांत आवश्यकता को देखते हुए ही अथर्ववेद में इन दोनों को ही नमस्कार किया गया है –

भूम्यै पर्जन्यपत्न्यै नमोऽस्तु वर्षभेदसे।

– अथर्ववेद 12/1/42

अथर्ववेद 3/17/4 के अनुसार कृषि कार्य गौरव का कार्य माना जाता था, इसीलिए इंद्र और पूषा देवों को कृषि–कार्य में लगाया गया है। यजुर्वेद 9/22 में राजा के चार कर्तव्य बताए गए हैं–कृषि की उन्नति, जन–कल्याण, राष्ट्र की श्रीवृद्धि और राष्ट्र को पुष्ट करना–

कृष्यै त्वा क्षेमाय, त्वा रय्यै त्वा पोषाय त्वा।

इनमें कृषि को सर्वाधिक प्रमुखता प्रदान की गई है। शतपथ ब्राह्मण में पूरे कृषि कर्म को चार भागों में बांटा गया है–

कृषन्तः, वपन्तः, लुनन्तः, मृणन्तः।

–शतपथ ब्राह्मण 1/6/1/3

अर्थात् कर्षण अर्थात खेत की जुताई, वपन अर्थात बीज बोना, लवन अर्थात पके खेत की कटाई करना और मर्दन अर्थात मड़ाई करके स्वच्छ अन्न प्राप्त करना। कृषि और शस्य अर्थात कृषि विधि के आविष्कारक राजा पृथु थे, जो ऋषि वेन के पुत्र थे। अथर्ववेद के अनुसार पृथु ने कृषि विद्या के द्वारा अनेक प्रकार के अन्न प्राप्त किए–

तां पृथी वैन्योऽधोक,
तां कृषिं सस्यं चाधोक।

–अथर्ववेद 8/10/4/11

महाभारत शान्ति पर्व 59/113/115 से भी इस बात की पुष्टि होती है। वैदिक ग्रंथों में उल्लिखित कृषि के इन संदर्भों से इस सत्य का सत्यापन होता है कि वैदिक काल में ही बीजवपन, कटाई आदि क्रियाएँ, हल, हंसिया, चलनी आदि उपकरण तथा गेहूँ, धान, जौ आदि

अनेक धान्यों का उत्पादन प्रचलन में था। भूमि की अत्यधिकता के कारण कृषि भूमि को कुछ वर्ष के लिए बिना खेती किए यूँ ही परती छोड़ पुनः उस भूमि पर कृषि कार्य प्रारंभ करने अर्थात चक्रीय परती के द्वारा मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने की परंपरा के निर्माण का श्रेय आदि कालीन भारतीय कृषकों अर्थात वैदिक कालीन कृषकों को जाता है। यूरोपीय वनस्पति विज्ञान के जनक रोम्सबर्ग और अन्य पाश्चात्य कृषि विद्वानों के अनुसार इस पद्धति को पश्चिम ने बाद के दिनों में अपनाया। कौटिल्य अर्थशास्त्र में मौर्य राजाओं के काल में कृषि, कृषि हेतु सिंचाई की व्यवस्था विकसित करने, कृषि उत्पादन आदि को बढ़ावा देने हेतु कृषि अधिकारी की नियुक्ति किए जाने का वर्णन मिलता है। यूनानी यात्री मेगस्थनीज ने लिखा है कि मुख्य नाले और उसकी शाखाओं में जल के समान वितरण को निश्चित करने व नदी और कुओं के निरीक्षण हेतु राजा द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। कृषि के संदर्भ में विस्तृत और चौंकाने वाले तथ्य नारदस्मृति, पाराशरस्मृति, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, अग्नि पुराण आदि में अंकित मिलते हैं। पराशर मुनि कृत स्मृति का कृषि पाराशर कृषि के विषय में एक संदर्भ ग्रंथ ही बन गया है। इस ग्रंथ में अनेक उल्लेखनीय व विशेष बातें कृषि के संदर्भ में अंकित हैं। इसमें कृषि भूमि की जुताई, वर्षा के बारे में भविष्यवाणी, बीजवपन, वर्षा मापन और अन्यान्य कृषि पद्धतियों का वर्णन है। पराशर कृत कृषि पराशर में कृषि भूमि की जुताई, कितने क्षेत्र की जुताई करना, उस जुताई हेतु प्रयुक्त हल, उसके अंक आदि का वर्णन है। इसी प्रकार जोतने वाले बैल, उनका रंग, प्रकृति तथा कृषि कार्य करवाते समय उनके प्रति मानवीय दृष्टिकोण रखने का वर्णन भी कृषि पाराशर ग्रंथ में अंकित है। जुताई का समय–नक्षत्र तथा काल के निरीक्षण के आधार पर जुताई के लिए कौन–सा समय उपयुक्त होगा, इसका निर्धारण भी कृषि पाराशर में किया गया है। ग्रंथ के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण, ग्रहों की गति तथा प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का गहरा अध्ययन, अनुसंधान व अभ्यास प्राचीन कालीन भारतीय ऋषि–मुनियों ने किया था, उसी आधार पर वे वर्षा की सटीक भविष्यवाणियाँ करते थे। भारतीय गणितीय ज्योतिष परम्परानुसार प्रत्येक वर्ष में उस वर्ष की ग्रह प्रमुखता के आधार पर पृथक–पृथक फल अर्थात परिणाम होते हैं। जिस वर्ष में जो ग्रह प्रमुखता में रहता है, उसके आधार पर उस वर्ष क्या–क्या परिणाम होते हैं, इसका वर्णन करते हुए कृषि पाराशर में ऋषि द्वारा कहा गया है कि जिस वर्ष सूर्य अधिपति होगा, उस वर्ष में वर्षा कम होगी और मानवों को कष्ट सहन करना पड़ेगा। जिस वर्ष का अधिपति चंद्र होगा, उस वर्ष अच्छी वर्षा और वनस्पति की वृद्धि होगी। लोग स्वस्थ रहेंगे। उसी प्रकार बुध, बृहस्पति और शुक्र के वर्षाधिपति होने पर भी स्थिति ठीक रहेगी। परंतु जिस वर्ष शनि वर्षाधिपति होगा, हर जगह विपत्ति होगी।' कृषि पाराशर में वर्षा को मापने अर्थात वर्षा मापन का भी वर्णन मिलता है। कृषि पराशर में वर्षा मापन अर्थात जलाढक निर्णय के संबंध में कहा गया है–

शतयोजनविस्तीर्णं त्रिंशद्योजनमुच्छ्रितम्।
अढकस्य भवेन्मानं मुनिभिः परिकीर्तितम्।।
– कृषि पाराशर

अर्थात पूर्व में ऋषियों ने वर्षा को मापने का पैमाना तय किया है। अढक अर्थात सौ योजन विस्तीर्ण तथा 300 योजन ऊँचाई में वर्षा के पानी की मात्रा।

आश्चर्यजनक बात यह है कि पराशर मुनि द्वारा इस विधि से प्राप्त परिणाम के समान ही आज कल का वर्षा मापन भी इतना ही आता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में द्रोण के आधार पर वर्षा मापने का उल्लेख तथा देश में कहाँ कितनी वर्षा होती है, इसका भी उल्लेख मिलता है। बीजवपन के संबंध में भी कृषि पराशर में विस्तृत वर्णनांकित है। उत्तम बीज संग्रह हेतु ऋषि पराशर, गर्ग ऋषि का मत उद्धृत करते हुए कहते हैं कि बीज को माघ अथवा फाल्गुन माह में संग्रहित करके धूप में सुखाना चाहिए तथा उन बीजों को बाद में सुखी, साफ–स्वच्छ, अच्छे और सुरक्षित स्थान पर संरक्षित करना चाहिए। वराहमिहिर ने वृहत संहिता में पेड़ों के उपरोपण अर्थात ग्राफ्टिंग की विधि, समय, सिंचाई के संबंध में विस्तृत वर्णन किया है।

प्राचीन काल से ही भारत कृषि के सुविकसित साधनों की दृष्टि से संसार में अग्रणी रहा है। मेजर जनरल अलेक्झेंडर वाकर आदि पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार भी पंक्ति में बोने का प्रयोग वर्तमान का श्री विधि, सर्वप्रथम भारत में हुआ और भारत में इसका प्रयोग अत्यंत प्राचीन काल से ही होता आया है। कृषि क्षेत्र में पंक्ति में बोने की इस विधि को भारत के लिए बहुत कुशल और उपयोगी अनुसंधान माना जाता है जबकि आस्ट्रिया में इसका प्रयोग सन 1662 तथा इंग्लैण्ड में 1730 में हुआ। यद्यपि इसका व्यापक प्रचार–प्रसार वहाँ इसके पचास वर्ष बाद हो पाया। प्राचीन काल में भारत में इस निमित पंक्तियुक्त हल भी बनाए जाते थे, जो तीन से छः पंक्ति तक के होते थे। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्राचीन काल से भारत में कृषि एक विज्ञान के रूप में विकसित हुई, जिसके कारण सहस्त्राब्दियों बाद भी भारत में भूमि की उर्वरा शक्ति अक्षुण्ण बनी रही, जबकि कुछ दशाब्दियों में ही अमरीका में लाखों हेक्टेयर भूमि बंजर हो गई है।

लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु

– मुरारी शरण शुक्ल (सह सम्पादक हिन्दू विश्व)

मन, आत्मा और शरीर, यो तीनों त्रिदण्डवत धारण करने से मनुष्य और जीवमात्र का अस्तित्व सम्भव होता है, इसीलिए मनुष्य (जीवात्मा) को त्रिदण्डी भी कहा जाता है। मन को चरक संहिता में सत्त्व कहा गया है–*सत्त्वमात्मा शरीरं च त्रयमेतत्त्रिदण्डवत्।* इन तीन पायों पर ही मानव जीवन प्रतिष्ठित है, अतः उसे तिपाया भी कहा गया है। इस मनुष्य शरीर को त्रिदण्ड और त्रिपादिका (तिपाया) के साथ "लोक" शब्द से भी सम्बोधित किया गया है। लोक शब्द का भाव प्रयोग महर्षि चरक ने अपनी संहिता में चेतन प्राणिसमूह के रूप में किया है। महर्षि ने आयु का लक्षण करते हुए इन्द्रिय का पृथक परिगणन किया है, परन्तु शरीर से इन्द्रिय का बोध हो जाता है अतः यहाँ पृथक शब्द प्रयोग नहीं हुआ है।

ये तीनों परस्पर मिलकर अपनी–अपनी क्रिया का सम्पादन करते रहते हैं। तीनों के सम्मिलित स्वरूप को लोक अर्थात् प्राणीमात्र या मनुष्य रूप में सम्बोधित करते हुए कहा गया है कि इसी लोक अर्थात जीव में ही कर्म, फल, ज्ञान, मोह, सुख, दुख इत्यादि प्रतिष्ठित हैं। अर्थात् कर्म से लेकर उसका फल, ज्ञानार्जन, तदनुरूप उपासना– साधना, मोह, सुख, दुख इत्यादि देहधारी चैतन्य जीव द्वारा ही निष्पादित, सृजित और अनुभव किया जा सकता है।

इसी लोक अर्थात जीव शरीर को पुमान् और चेतन भी कहा गया है। *"स पुमांश्चेतनं"* इस पुमान (पुरुष) के लिए ही आयुर्वेद नामक यह शास्त्र प्रकाशित किया गया है। (चरक संहिता 1/1/46) जगत में चार प्रकार के प्राणीसमुह (लोक) हैं– 1. स्वेदज, 2. अण्डज, 3. उद्भिज, 4. जरायुज। *लोको हि द्विविधः स्थावरो जंगमश्च।* यहाँ लोक को दो प्रकार के बताए गए हैं – स्थावर और जंगम और दोनों को ही पंचमहाभूत के समवाय अर्थात् समान मात्रा से निर्मित कहा गया है। लेकिन प्रकृति में आत्मा का प्राकट्य जीवों की तुलना में पृथक स्तर पर होने से स्थावर और जङ्गम का भेद उत्पन्न होता है। पादप वर्ग में जीवन तो सभी शास्त्र प्रमाणित करते हैं, लेकिन भूमि में चेतना का स्पष्ट प्रतिपादन वास्तुशास्त्र विस्तार से करता है।

आयुर्वेद में पुरूष शब्द का प्रयोग सभी चार प्रकार के प्राणियों के लिए किया गया है, इसीलिए इस शब्द में स्त्री–पुरुष का भेद ढूंढ़ना अनर्थकारक होगा। आयुर्वेद में केवल पुरूष या मनुष्य मात्र की चिकित्सा की बात नहीं की गई है, तो इन चारों प्रकार के प्राणियों की चिकित्सा की बात करते हुए, उन्हें सामुहिक रूप से पुरूष कहकर सम्बोधित किया गया है। इसी अर्थ में पुमान का प्रयोग किया गया है। शालिहोत्र संहिता, हस्त्यायुर्वेद इत्यादि ग्रन्थों में घोड़े, हाथी आदि जीवों की चिकित्सा का भी विस्तार से वर्णन है।

खादिन्यात्मा मनः कालो दिशश्च द्रव्यसंग्रहः। ख अर्थात् आकाश आदि पंचमहाभूत एवं अन्य। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथिवी पंचमहाभूतों के साथ आत्मा, मन, काल और दिशा मिलाकर नौ द्रव्य कहे जाते हैं। *सेन्द्रियं चेतना द्रव्यं, निरिन्द्रियमचेतनम्।* जो द्रव्य इन्द्रिय सहित हैं, वे चेतन कहलाते हैं। जो द्रव्य इन्द्रिय रहित हैं, वे जड़ कहलाते हैं। यहाँ पृथकता चेतना की नहीं है। चेतन तो दोनों ही हैं, इसीलिए लोक शब्द से दोनों सम्बोधित होते हैं। अंतर केवल इन्द्रियों के होने और न होने का है। आत्मा को चेतन और शरीर एवं इन्द्रिय को जड़ कहा गया है। प्रकृति में आत्म तत्व भी है, किन्तु आत्मा की चेतनता तबतक प्रकट नहीं होती, जबतक आत्मा का इन्द्रियों के साथ सम्बन्ध न हो जाए। इन्द्रियाँ ही ज्ञानोपलब्धि की साधन हैं।

वनस्पतियाँ चुँकि शरीर (इन्द्रियों) से युक्त हैं, अतः उन्हें भी ज्ञानोपलब्धि होती है। जितने स्तर तक शरीर–इन्द्रियों का विकास होता है, उतने स्तर तक ज्ञान की उपलब्धी होती है। पौधे और वृक्ष भी पण्चमहाभूतों से सृजित होकर शरीर युक्त होने से इन पंचमहाभूतों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध इत्यादि को समझते हैं और तदनुरूप क्रिया–प्रतिक्रिया भी करते हैं। इनका आत्मसातिकरन और परित्याग दोनों ही करते दिखाई देते हैं। इन विषयों पर जगदीश चन्द्र बसु ने अद्भुत शोध कार्य किया था और पौधों के प्राणवान और ज्ञानवान होने को प्रमाणित किया था, जो महर्षि चरक और सुश्रुत भी सदियों पूर्व कह गए थे, अपनी संहिताओं में लिख गए थे।

जम्मू कश्मीर के महामहिम राज्यपाल महोदय को विहिप का पत्र

नई दिल्ली, कार्तिक शुक्ल एकादशी –2082, 1 नवंबर, 2025। विश्व हिन्दू परिषद के महामंत्री श्री बजरंग बागड़ा जी ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल श्रीमान मनोज सिन्हा जी को पत्र लिखकर श्री माता वैष्णो देवी द्वारा पोषित शैक्षिक सँस्थानों में धर्मगत संतुलन एवं धार्मिक भावना संरक्षण के संदर्भ में उन्हें अवगत कराया। ज्ञात हो कि महामहिम राज्यपाल, श्री माता वैष्णों देवी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि हिंदू धर्म एवं सँस्कृति के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में समर्पित राष्ट्रीय संगठन होने के नाते, हम कर्तव्यनिष्ठ हैं कि हम माता वैष्णो देवी जैसे अत्यंत पावन तीर्थ के भक्तों और हिंदू समाज की श्रद्धा, धार्मिक आस्था और सामाजिक विश्वास की रक्षा करें।

श्री बागड़ा ने आगे लिखा कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा स्थापित विभिन्न शैक्षणिक संस्थाएँ माता वैष्णो देवी जी को अर्पित भक्तिमय चढ़ावों से वित्त पोषित हैं। इसलिए यहाँ की हर गतिविधि में माता के प्रति श्रद्धा एवं हिंदू सँस्कृतिक मूल्यों की अभिव्यक्ति अवश्य होनी चाहिए। महामंत्री ने राज्यपाल जी को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि हमें यह ज्ञात हुआ है कि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस के प्रथम बैच में 50 छात्रों में से मात्र 6 हिंदू हैं, जबकि 44 छात्र मुस्लिम हैं। साथ ही नर्सिंग महाविद्यालय के शिक्षकों में से अधिकांश मुस्लिम अथवा ईसाई हैं। ये तथ्य न केवल धार्मिक आस्था के विपरित है, बल्कि स्थानीय एवं व्यापक हिंदू समाज की भावनाओं को भी गहन ठेस पहुँचाते हैं। हम वर्तमान में मेडिकल कॉलेजों के प्रवेश प्रक्रिया के आंतरिक स्वरूप से पूर्णतः परिचित नहीं है, परन्तु माता वैष्णो देवी जी के इस पावन सँस्थान में प्रवेश व्यवस्था में धार्मिक संवेदनशीलता, सँस्कृतिक विरासत और भावी समाज की अपेक्षाओं का भी उचित समायोजन होना आवश्यक है। साथ ही इन समस्त सँस्थाओं में हिंदू शिक्षक और कर्मचारी ही नियुक्त होने चाहिए।

उन्होंने इस संदर्भ में लिखा है कि हम हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 10 अक्टूबर, 2025 के CWP 1834 of 2018 विषय में महत्वपूर्ण निर्णय का संक्षिप्त उल्लेख करना चाहते हैं, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि मंदिर निधि तथा उससे जुड़े संसाधनों का उपयोग हिंदू धार्मिक, सँस्कृतिक और धर्मार्थ कार्यों के लिए ही निर्धारित किया जाना चाहिए। यह निर्णय मंदिरों के वित्त प्रबंधन की पारदर्शिता, धार्मिक स्वतंत्रता तथा श्रद्धालुओं के विश्वास की रक्षा करता है। हमें विश्वास है कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, सम्मानपूर्वक इस स्थिति की गंभीरता को समझते हुए शीघ्र ही प्रवेश और नियुक्ति संबंधी नीतियों की समीक्षा करेगा, ताकि संस्थान की धार्मिक प्रतिबद्धता, संतुलन और भक्तों व समाज की अपेक्षाएँ समान रूप से संरक्षित हों।

यह निवेदन करना भी सुसंगत है कि बोर्ड लोक कल्याण के ऐसे प्रकल्प ही हाथ में ले, जो मातारानी के भक्तों और श्रद्धालु हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाए। अंत में महामंत्री जी लिखते हैं कि विश्व हिंदू परिषद, इस विषय में संवाद, सहयोग और मार्गदर्शन के लिए सदैव तत्पर है और आश्वस्त करता है कि इस मुद्दे पर सामूहिक संवेदनशीलता के साथ सकारात्मक समाधान निकाला जाए। इस पत्र को एक प्रारंभिक संवाद माना जाए, जिससे भविष्य में विस्तृत विचार–विमर्श और आवश्यक कार्रवाई की दिशा में सार्थक चर्चा हो सके।

‘जनजाति गौरव दिवस’

'विश्व हिंदू परिषद – त्रिपुरा प्रांत। गोमती जिला के उदयपुर नगर प्रखंड में आज 'जनजाति गौरव दिवस' मनाया गया, जिसमें 'त्रिपुरा राज्य के महामहिम राज्यपाल श्री इंद्रसेन रेड्डी नल्लु जी' मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता विश्व हिंदू परिषद के 'क्षेत्र संगठन मंत्री डॉ. दिनेश तिवारी जी' रहे। कार्यक्रम का प्रारंभ माननीय राज्यपाल जी ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया।

डॉ. दिनेश तिवारी जी ने जनजाति गौरव के इतिहास के बारे में जनजाति महापुरुष, जनजाति उत्सव एवं जनजाति उत्सवों के पीछे वैज्ञानिकता, सँस्कृति पर अपने विचार रखे तथा 'महामहिम राज्यपाल श्री इंद्रसेन रेड्डी नालू जी' ने जनजातियों के लिए सन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो योजनाएँ जनजातियों के लिए दी है, उसकी चर्चा की तथा जो जनजाति नहीं होते हुए भी जनजाति का लाभ ले रहे हैं, उनका विरोध करना एवं अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना और अपने अधिकार की बात करना भी जनजाति गौरव के अंतर्गत है और जनजाति समाज के प्रत्येक कार्यक्रम के निमंत्रण में जाने का आश्वासन दिया। जनजाति अधिकार भाषा एवं सँस्कृति, सभी जनजातियों की लिपि, कोकब्रोक लिपि एवं कस्टमरी लॉ इन सभी विषयों में केंद्र एवं राज्य सरकार सहयोगी भूमिका में रहेगी। भविष्य में अच्छा परिणाम के साथ यह समस्याएँ भी दूर होगी, ऐसा संकल्प एवं विश्वास जनजाति समाज को रखने की

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक स्नेहपाल सिंह की अस्थियां गंगा में विसर्जित, राष्ट्रनिष्ठ तपस्वी के प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि

हरिद्वार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक, राष्ट्रनिष्ठ तपस्वी एवं एकल अभियान के प्रखर प्रेरक दिवंगत स्नेहपाल सिंह की अस्थियों को कनखल स्थित पावन सतीघाट पर हिंदू परंपरा व पूर्ण विधि–विधान के साथ माँ गंगा की धाराओं में विसर्जन किया गया। कार्यक्रम में उनके परिजन, निकट सहयोगी तथा संघ–परिवार के अनेक दायित्ववान कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अस्थि कलश लेकर पहुँचे पूर्णकालिक स्वयंसेवक अरविंद, नाती सुरेंद्र मलिक, अंजुल त्यागी, राजेन्द्र मेहरा, विनोद फोगाट, विनय बत्रा, देवेंद्र बिष्ट सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने भाव–विह्वल होकर अंतिम विदाई दी।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक डॉ. शैलेन्द्र ने गंगा तट पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि स्नेहपाल सिंह ने संघकार्य को अपने खून–पसीने से सींचा। संघ की शताब्दी यात्रा में उनका समर्पण, तप और त्याग भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का अक्षय स्रोत रहेगा। राष्ट्र सेवा उनके लिए साधना थी और संगठन उनका जीवन।

विश्व हिंदू परिषद के प्रांत कार्याध्यक्ष रवि देव आनंद ने स्नेहपाल सिंह के साथ बिताए प्रेरणादायी अनुभवों को स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने तन, मन और सम्पूर्ण जीवन माँ भारती के चरणों में अर्पित कर दिया। वे हजारों–लाखों स्वयंसेवकों के प्रेरणा स्रोत रहे। जीवन के प्रत्येक क्षण में उनका राष्ट्रभाव सर्वोपरि था। विहिप प्रांत संगठन मंत्री अजय कुमार ने कहा कि एकल अभियान के अंतर्गत स्नेहपाल जी का राष्ट्र प्रेम अद्वितीय था। अपने अंतिम क्षणों तक वे माँ भारती का चिंतन और आराधना करते रहे, यही उनके जीवन का सार रहा। वे संगठन के लिए चलती–फिरती प्रेरणा थे।

गंगा तट पर भारत माता की जय, वंदे मातरम् एवं अमर रहें स्नेहपाल सिंह के स्वर गूंजते रहे। विश्व हिन्दू परिषद उत्तराखण्ड ने दिवंगत आत्मा के प्रति कृतज्ञ श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके राष्ट्रसमर्पित जीवन को संगठन के लिए अमूल्य धरोहर बताया तथा संकल्प व्यक्त किया कि स्नेहपाल सिंह के आदर्श, तप और कार्यपथ हमारे लिए मार्गदर्शक रहेंगे।

इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक राकेश, विद्याभारती प्रांत निरीक्षक विजयपाल, विहिप प्रांत कोषाध्यक्ष प्रभुदयाल अग्रवाल, जिला प्रचारक जगदीप, विहिप विभाग संगठन मंत्री अमित कुमार, बजरंग दल प्रांत संयोजक अनुज वालिया, सह संयोजक सौरभ चौहान, नवीन तेश्वर, वीरसेन मानव, भानु, सेवा प्रमुख अनिल भारतीय, बलदेव राज छाबड़ा, अमित शर्मा सहित अनेक कार्यकर्ता एवं सामाजिक प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

pankajvhpharidwar108@gmail.com

जरूरत है। सरकार एवं विश्व हिंदू परिषद संपूर्ण हिंदू जाति, जनजाति समाज के साथ है और राज्यपाल जी का पूरा सहयोग मिलेगा, ऐसा उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा।

जनजाति गौरव दिवस के उपलक्ष्य पर 'त्रिपुरा राज्य की प्रमुख 19 जनजातियों' (त्रिपुरा / त्रिपुरी, रियांग, जमातिया, नोआतिया, उचाई, चकमा, मोग, लुशाई, कुकी, हलम, मुंडा, कौर, ओरंग, संथाल के समाजपति एवं उनके संरक्षक सभी जनजाति प्रमुख उपस्थित थे। कुछ प्रमुख जनजाति समाज के लोगों ने अपनी–अपनी मांग एवं समस्या को भी रखा एवं विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सभापति श्री सचिन कलाई जी, प्रांत संपादक श्री शंकर राय, प्रांत संगठन मंत्री श्री शशिकांत पांडे जी, प्रांत सह मंत्री श्री मनोज देवनाथ जी, प्रांत कोषाध्यक्ष श्री अमल कांति दास, प्रांत प्रचार प्रमुख विकास भौमिक, प्रांत विधि प्रमुख श्रीमती सुमिता रॉय, प्रांत सोशल मीडिया प्रमुख श्री आकाश डे जी, जिले के सभापति श्री निहार चंद्र देवनाथ, जिला संपादक श्री चंदन भट्टाचार्य, सह संपादिका श्री गंगा, श्री कलई एवं जिले के अन्य सभी पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। मंच का संचालन श्री विप्लव लोध ने किया, पूर्णता मंत्र, जय घोष के पश्चात कार्यक्रम संपन्न हुआ।

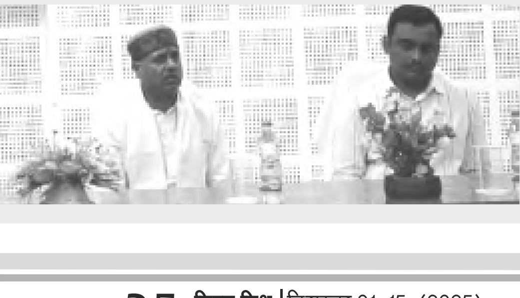

विश्व हिंदू परिषद हिन्दू समाज में अस्पृश्यता समाप्त करने हेतु कटिबद्ध है : विनायक राव देशपांडे

विश्व हिन्दू परिषद–बजरंग दल, हरिगढ़ महानगर द्वारा आज श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय के सभागार में 'सामाजिक समरसता संगोष्ठी' का आयोजन हुआ, जहाँ विहिप महानगर अध्यक्ष आरके जिंदल उनके साथ मुख्य वक्ता व विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय सह संगठन मंत्री विनायक राव देशपांडे ने भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन, पुष्पार्चन किया व कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं विषय लेते हुए मुख्य वक्ता व विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय सह संगठन महामंत्री विनायक राव देशपांडे ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद हिन्दू समाज में अस्पृश्यता समाप्त करने हेतु कटिबद्ध है। इसी काज हेतु सभी जाति–सम्प्रदाय में संत नियमित प्रवास कर रहे हैं।

जात पात पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होई – ऐसा कहते हुए उन्होंने कहा कि भारत के सभी संतों ने समरसता को लेकर जागरण किया। श्री गुरुनानक देवजी के विषय में उन्होंने बताया कि 'पहले पंगत पीछे संगत' क्रियान्वयन करते हुए उन्होंने भी समरसता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 'देश के सभी संसाधनों पर समान अधिकार होना चाहिए। उन्होंने श्री कामेश्वर चौपाल के बारे में बताया जिन्होंने श्रीराम मंदिर की नींव रखी, उन्होंने छुआछूत को बीमारी बताते हुए इसको दूर करने पर बल दिया। श्री विनायकराव ने कहा कि हिन्दू समाज को बांटने के कुचक्र से दूर रहना होगा, सनातनी हिन्दू बनना होगा।

वैदिक काल में वर्ण थे और जाति व्यवस्था नहीं थी। हिन्दुओं में भाग करने के लिए आर्य और अनार्य शब्दों का प्रयोग किया गया, ऐसा स्वयं डॉ. अम्बेडकर का कहना था। जिहादी कट्टरपंथियों ने सबसे ज्यादा अत्याचार महिलाओं पर किये। इसलिए हिन्दू बेटियों का बाल विवाह, बेटियों का बाहर निकलना बंद हुआ। केवट और शबरी का उदाहरण देते हुए उन्होंने समरसता का प्रणेता प्रभु राम को बताया। अंतर्मुख होकर सनातनी हिंदुओं को विचार करना चाहिए कि हम समाज के रूप में कहाँ खड़े हैं ?

कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम अध्यक्ष हरिप्रसाद सूद ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए रामधुन गाई। मंच संचालन विहिप् हरिगढ़ विभाग मंत्री मुकेश राजपूत व महानगर मंत्री मयंक कुमार ने संयुक्त रूप से किया।

इस अवसर पर ब्रज प्रान्त प्रान्त संगठन मंत्री राजेश कुमार, प्रान्त सह मंत्री अभय प्रताप, विशिष्ट अतिथि गंगा प्रसाद माहौर, मनोज कुमार तिरपाल, समरसता प्रमुख जगवीर मिश्र, ब्रजप्रान्त प्रचार प्रमुख प्रतीक रघुवंशी, प्रान्त मातृशक्ति संयोजिका हिमाचल जादौन, प्रांत महिला गौभक्त प्रमुख कृष्णा गुप्ता, विभाग मंत्री मुकेश राजपूत, महानगर मंत्री मयंक कुमार, कार्याध्यक्ष दिनेश शास्त्री, कोषाध्यक्ष देवेंद्र, उपाध्यक्ष आलोक शिवाजी, महानगर समरसता प्रमुख भूपेंद्र गोयल, राजा पंडित, सहमंत्री राहुल वर्मा, इंद्रपाल सिंह, सह सोशल मीडिया प्रमुख दिनेश बघेल, स्वाबलंबन प्रमुख जितेंद्र आर्य, बजरंग दल संयोजक दीपक राजपूत तथा योगेश उपस्थित रहे।

विहिप त्रिपुरा प्रांत द्वारा पश्चिम त्रिपुरा जिले में स्थित सेवाधाम खोयरपुर में बजरंग दल शौर्य प्रशिक्षण वर्ग एवं त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम को संबोधित करते बजरंग दल के राष्ट्रीय सह संयोजक श्री किशन प्रजापति जी तथा
वर्ग में शारीरिक प्रदर्शन करते बजरंग दल के शिक्षार्थी

विश्व हिंदू परिषद महाकोशल प्रांत के विशेष संपर्क प्रमुख विभाग की कार्यशाला सम्पन्न हुई

राजस्थान-बिलाड़ा जिले के भोपालगढ़ कस्बे में नशा मुक्ति हेतु रन फार हैल्थ का आयोजन हुआ, जिसमें पूज्य सन्तों व प्रान्त सह मंत्री महेन्द्र जी उपाध्याय, प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों, शिक्षा, चिकित्सा विभाग व गणमान्य लोगों की सहभागिता रही।

उत्तर कर्नाटक प्रांत में महा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।

नशा मुक्त भारत के लिए जबलपुर के शाहपुरा विभाग में संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें बजरंग दल के क्षेत्र संयोजक विश्ववर्धन भट्ट, प्रांत संयोजक यतेंद्र पाठक, विभाग मंत्री पंकज जी एवं समस्त बजरंग दल जबलपुर विभाग के संयोजक, सह संयोजक एवं ग्रामवासी उपस्थित रहे।

"LPC DELHI, DELHI PSO, DELHI RMS, DELHI-6
email:hinduvishwa@gmail.com
website: www.vhp.org

Postal Regd. No. DL-SW-01/4031/24-26
समाचार पत्र पंजी. सं. 68516/98
प्रकाशन तिथि : 28.11.2025
प्रेषण तिथि : 29-30 (अग्रिम-पाक्षिक)

प्रकाशक व मुद्रक हरिशंकर द्वारा सचिव, साहित्य एवं दृक्श्राव्य सेवा न्यास की ओर से 'रॉयल प्रेस' बी–82, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेस–1, नई दिल्ली–110020 से छपवाकर संकटमोचन आश्रम, सेक्टर–6, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22 से प्रकाशित। सम्पादक : विजय शंकर तिवारी